उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 84/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती लीना रूट पत्नी श्री रतीकांता रूट,
अलीगंज रोड, हाउस नं0 02, प्रकाश सिटी, काशीपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती लीना रूट पत्नी श्री रतीकांता रूट का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–377AJU2897669 (05 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है वहां हमेशा विद्युत आपूर्ति व वोल्टेज सम्बन्धी समस्या बनी रहती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर की विद्युत आपूर्ति व वोल्टेज सम्बन्धी समस्या को सही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 21.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री पंकज कुमार, डी.ए.आर., काशीपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4116 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी जिस कालोनी में निवास करती है वह इलैक्ट्रिफाइड कॉलोनी है। उक्त कालोनी में 250 केवीए का परिवर्तक स्थापित है, जिसका निरीक्षण करने पर पाया गया कि वर्तमान में उक्त परिवर्तक सामान्य वोल्टेज प्रदर्शित कर रहा है। विपक्षी

क्रमशः 2....

विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा अपने कालोनी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति एवं कम वोल्टेज के संबन्ध में शिकायत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा इस संबन्ध में निरीक्षण के उपरांत बताया गया कि उक्त कालोनी में स्थापित 250 केवीए का परिवर्तक वर्तमान में सामान्य वोल्टेज प्रदर्शित कर रहा है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 295 / 2025–26 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 जीवन प्लास्ट मोल्डस कार्प0,
प्लाट नं0 26, सेक्टर नं0 07, इण्डिस्ट्रीयल, इस्टेट,
सिडकुल, पंतनगर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1 विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 जीवन प्लास्ट मोल्डस कार्प0 का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–890K000004602 (133 केवीए औद्योगिक) पर स्मार्ट मीटर लगने के बाद पॉवर फैक्टर की रीडिंग बहुत कम आ रही है, जिसके कारण 40–50 प्रतिशत अधिक बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। पिछले 04 महीने से पॉवर फैक्टर 0.64 पर आकर अटक गया है, जो कि पहले 0.94 से 0.99 तक आता था। जबकि उनके ऑटोमेटिक पॉवर फैक्टर कंट्रोलर पैनल भी लगा हुआ है। एल एण्ड टी कम्पनी के इंजीनियर ने भी चैक किया, उनका कहना है कि विभाग ही ठीक कर सकता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन के पॉवर फैक्टर की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी

क्रमशः 2....

विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 23.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 08.04.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.04.2026, 23.04.2026, 06.05.2026, 20.05.2026, 10.06.2026, 29.06.2026, 09.07.2026, 22.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3885 दिनांक 09.06.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर के कार्यालय पत्र सं0 357 दिनांक 08.06.2026 के माध्यम से खण्ड कार्यालय को अवगत कराया कि परिवादी परिसर का वर्तमान में स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें मापक संख्या–46000643 का पॉवर फैक्टर सही पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सहायक अभियन्ता (मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर की लिखित रिपोर्ट, Phasor, YMPL Testing Report and MDM Data की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विद्युत परीक्षण खण्ड की जांच में परिवादी का मापक सही चलता पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के मापक एवं सी0टी0–पी0टी0 Permissible limit में पाए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादी का मापक तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह सही है। चूंकि सही मापक की रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र ध्यानी)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 97/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मुकुल कुमार पुत्र श्री पवन कुमार,
आर्य नगर, काशीपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री मुकुल कुमार पुत्र श्री पवन कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371ARR1052207 (04 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर में पोल से आने वाली मुख्य सर्विस लाईन (केबिल) में एक अनावश्यक जोड़ है। जबकि विद्युत पोल से परिसर की दूरी इतनी है कि बिना जोड़ के भी केबिल आ सकती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर विद्युत पोल से आने वाली मुख्य सर्विस लाईन केबिल को जोड़ रहित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 25.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 01.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री पंकज कुमार, डी.ए.आर., काशीपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4115 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा विद्युत केबिल के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज

क्रमशः 2....

करायी गयी थी, जिसके अनुपालन में परिवादी की विद्युत केबिल को बदल दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता द्वारा लिखित रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 299/2025–26 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अरूणा जैन वास्ते श्री कार्तिकेय जैन, **परिवादी**
गल्ला मण्डी, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री अरूणा जैन की ओर से श्री कार्तिकेय जैन का एक शिकायती पत्र दिनांक 31.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–896A3111136430 (05 किलोवाट व्यवसायिक) पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या–357623 खराब होने के कारण माह सितम्बर 2025 का बिल अत्यधिक जारी किया गया है। जबकि माह जून से अगस्त 2025 तक का बिल सही बनाया गया था जिसका भुगतान भी कर दिया गया था। माह सितम्बर 2025 में जारी गलत बिल को सही कराने के लिए कई बार विभाग में सम्पर्क किया गया, परन्तु बिल सही नहीं किया गया। जिसके चलते दिसम्बर 2025 में बिल रू0 27046.00 का हो गया। बिल बकाया होने पर विभाग द्वारा संयोजन भी काट दिया गया। इसके उपरांत विभागीय कार्यालय में लगातार सम्पर्क किया गया तो दिनांक 10.03.2026 को लाईनमैन द्वारा संयोजन को जोड़कर मीटर चैक किया गया तो उपभोग यूनिट–6998 निगेटिव आ रही थी। इसके उपरांत भी बिल सही नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 31.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.04.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

08.04.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 08.04.2026, 23.04.2026, 06.05.2026, 20.05.2026, 10.06.2026, 29.06.2026, 09.07.2026, 22.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक—2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2104 दिनांक 06.04.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि दिनांक 10.03.2026 को परिवादी के मीटर में 154245 केडब्ल्यूएच रीडिंग अंकित पाई गई, जिसके अनुसार उनको रू0 83923.00 का बिल प्रेषित किया गया है। वर्तमान में परिवादी के मापक की डिस्प्ले जाम है तथा एमआरआई न होने के कारण पूर्व में की गई विद्युत खपत की गणना करना एवं चैक मापक स्थापित करना संभव नहीं है। दिनांक 03.06.2026 को परिवादी द्वारा अपने बिल का भुगतान कर दिया गया है। मंच के निर्देश पर दिनांक 07.07.2026 को परिवादी का मापक सील कर जांच हेतु मैसर्स जीनस पावर ईन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के सर्विस सेंटर जयपुर भेजा गया। अधिशासी अभियंता ने अपने पत्र संख्या—5246 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा मापक संख्या—357623 की एमआरआई आख्या, जोकि मै0 जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, सर्विस सेन्टर, जयपुर द्वारा उपलब्ध करायी गई है, मंच के समक्ष प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार मापक संख्या—357623 में फाइनल रीडिंग 161631.43 केडब्लूएच दर्ज पायी गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं विवादित मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी का संयोजन रू0 83923.00 का बिल बकाया होने पर दिनांक 10.03.2026 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया, जिसे दिनांक 31.05.2026 को पुनः जोड़ दिया गया। मंच के निर्देष पर विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत मीटर की एमआरआई हेतु उसे मीटर निर्माता कंपनी को भेजा गया। चूंकि प्रश्नगत मीटर निर्माता कंपनी मै0 जीनस पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, सर्विस सेन्टर, जयपुर द्वारा उपलब्ध करायी गई एमआरआई रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि मीटर में फाइनल रीडिंग 161631.43 केडब्लूएच दर्ज पायी गयी, जिसकी देयता परिवादी पर बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 99/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती गुंजन पाठक पत्नी श्री आर0के0 पाठक,
ग्राम चांदपुर, काशीपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती गुंजन पाठक पत्नी श्री आर0के0 पाठक का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–370K000036218 (10 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल माह नवम्बर 2025 से माह मार्च 2026 तक अनुमानित गणना के आधार पर जारी किए गये हैं। इस अवधि के दौरान उन्होंने विद्युत बिल के एवज में कुल रू0 35743.00 का भुगतान किया हैं, जिसमें दिनांक 26.05.2026 के बिल भुगतान का उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विभागीय कार्यालय में भी शिकायत की गयी है, परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिलों के मद में जमा धनराशि को समायोजित कराते हुए संशोधित विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 29.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री पंकज कुमार, डी.ए.आर., काशीपुर के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4118 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन का आईडीएफ माहों (11/2025 से 03/2026 तक) के विद्युत बिल परिवादिनी की पूर्व उपभोग औसत खपत यूनिट के अनुसार निर्गत हुए है, परन्तु माह अप्रैल 2026 के विद्युत बिल में आर.ए.पी.डी.आर.पी. सिस्टम द्वारा त्रुटिवश परिवादिनी के मापक परिवर्तन होने के पश्चात का विद्युत बिल कुल 4729 यूनिट का निर्गत कर दिया गया। जबकि परिवादिनी का उक्त माह का विद्युत औसत खपत यूनिट 804 के अनुसार निर्गत होना चाहिए था। परिवादिनी के माह अप्रैल 2026 के विद्युत बिल में संशोधन करने पर रू0 32420.50 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 29089.50 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 08/2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 नैनी पेपर्स लिमिटेड, परिवादी
07 कि0मी0 स्टोन, मुरादाबाद रोड, काशीपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादी मै0 नैनी पेपर्स लिमिटेड का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.04.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा अपने विद्युत संयोजन संख्या–JS0K000003401 (6500 केवीए औद्योगिक) का विद्युत भार 6500 केवीए से 9500 केवीए बढ़ाने हेतु दिनांक 30.01.2025 को अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, जसपुर के समक्ष आवेदन किया गया। यूपीसीएल के पत्रांक संख्या–2578/निदे0(परिचालन)/उपाकालि/सी0–12/दिनांक 05.06.2025 के द्वारा विद्युत भार बढ़ाने का स्वीकृत आदेश जारी किया गया, परन्तु विभाग द्वारा अतिरिक्त भार स्वीकृति के बाद भी उनकी कंपनी के बिलों में दिनांक 05.06.2025 से दिनांक 10.04.2026 तक का अतिरिक्त जुर्माना लगा दिया गया, जोकि पूर्ण रूप से अनुचित है। विभाग द्वारा भार बढ़ाने की स्वीकृति दिनांक 05.06.2025 को दे दी थी, परन्तु बढ़ा हुआ विद्युत भार दिनांक 10.04.2026 को रिलीज किया गया, जबकि सम्बन्धित सबस्टेशन पर नियमित उपयोग हेतु समुचित विद्युत भार पूर्व से उपलब्ध था, जिसे भार स्वीकृति आदेश के समय यानि दिनांक 05.06.2025 को ही रिलीज किया जा सकता था। उक्त जुर्माना लगाने से कम्पनी को अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है, जो पूर्ण रूप से अनुचित है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त औद्योगिक परिसर के विद्युत बिलों में विभाग द्वारा लगायी गयी पेनल्टी निरस्त करते हुए विद्युत बिल में उनके पक्ष में समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 17.04.2026 द्वारा नोटिस जारी

क्रमशः 2....

कर दिनांक 25.04.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 07.05.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 07.05.2026, 22.05.2026, 12.06.2026 व 30.06.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री शेलेन्द्र कुमार सैनी, उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय), जसपुर एवं सुश्री दिव्या पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये। परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा विपक्षी विभाग के जवाब दावे के संबन्ध में कुछ आपत्तियां प्रस्तुत की गई तथा विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की आपत्तियों पर बिन्दुवार प्रतिउत्तर प्रस्तुत किए गए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—401 दिनांक 05.05.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी द्वारा भार वृद्धि हेतु आवेदन दिनांक 30.01.2025 को किया, परन्तु संलग्नक औपचारिकताऐं पूर्ण नहीं की गई, जिस पर उसे मौखिक रूप से अनिवार्य औपचारितकाएं पूर्ण करने को कहा गया। सभी वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत परिवादी प्रतिष्ठान का आवेदन दिनांक 05.03.2025 को पंजीकृत किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 24.07.2025 को परिवादी के पंजीकृत मोबाइल नंबर—7055315225 पर प्रांक्कलन राशि रू0 20,00000.00 दिनांक 24.08.2025 तक जमा कराने की सूचना प्रेषित कर दी गई थी। परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा उक्त प्रांकलन राशि दिनांक 04.11.2025 को जमा कराई गई। तदोपरान्त परिवादी प्रतिष्ठान के आवेदन पर विभाग द्वारा लाईन Augumentation की कार्यवाही करते हुए UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम 3.4.3 में वर्णित तालिका 3.11 में दी गयी 180 दिनों की समयावधि के अन्दर दिनांक 10.04.2026 को 9500 के0वी0ए0 का विद्युत भार अवमुक्त कर दिया गया।

परिवादी के बिल में Excess Load/ Demand Penalty अधिरोपित किए जाने के संबन्ध में अधिशासी अभियंता ने अवगत कराया कि परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा अतिरिक्त विद्युत भार स्वीकृत होकर अवमुक्त होने से पूर्व ही नियमित अन्तराल पर तत्समय स्वीकृत विद्युत भार 6500 केवीए से अधिक विद्युत भार का प्रयोग किया गया। स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार प्रयोग किये जाने के संबन्ध में UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम—5.2.3 तथा विद्यमान Tariff Order 2025-26 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप Excess Load/ Demand Penalty अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। उक्तानुसार तत्समय स्वीकृत विद्युत भार 6500 केवीए से अधिक प्रयोग किए गए विद्युत भार एवं उसके सापेक्ष अधिरोपित Excess Load/ Demand Penalty का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है....

Bill Month	Contr-acted Load (KVA)	MD (KVA)	Excess Load (KVA) (A)	Fix/Dem Chg. (In Rs.)	Excess Demand Charges	As per UERC Supply Code 2020 Reg. 5.2.3(1)	As per UERC Supply Code 2020 Reg. 5.2.3(2)
						Excess Demand Charges(B) =2*(A)*480	Excess Demand Charges(C)=2*(B)
Mar-26	6500	10254.38	3754.38	3120000	7208410	3604204.8	7208409.6
Feb-26	6500	5584.50	0	2680560	0	0	0
Jan-26	6500	11408.25	4908.25	3120000	9423840	4711920	9423840

क्रमशः 3....

Dec-25	6500	9577.50	3077.50	3120000	2954400	**2954400**	0
Nov-25	6500	12669.75	6169.75	3120000	5922960	**5922960**	0
Oct-25	6500	10828.88	4328.88	3120000	4155725	**4155724.8**	0
Sep-25	6500	4592.25	0	2340000	0	**0**	0
Aug-25	6500	11089.50	4589.50	3120000	4405920	**4405920**	0
Jul-25	6500	10832.25	4332.25	3120000	4158960	**4158960**	0
Jun-25	6500	13596.00	7096.00	3120000	6812160	**6812160**	0
May-25	6500	6037.50	0	2898000	**0**	**0**	0
Apr-25	6500	4465.00	0	2340000	**0**	**0**	0
Mar-25	6500	5550.00	0	2664000	**0**	**0**	0
Feb-25	6500	5662.50	0	2718000	**0**	**0**	0

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा जून 2025 से आगे के महीनों में तत्समय आवेदित कुल विद्युतभार 9500 KVA से भी अधिक विद्युतभार का प्रयोग किया गया तथा तत्क्रम में नियमानुसार अधिरोपित Excess Demand Charges का भुगतान भी परिवादी द्वारा प्रत्येक बिल के साथ नियमित रूप से किया गया है। केवल अतिरिक्त भार हेतु आवेदन कर देने से विद्युत भार स्वीकृत नहीं हो जाता। आवश्यक तकनीकी औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार उपभोग करने पर लाईन ओवरलोडिंग के कारण कण्डक्टर टुटने, उपकरण क्षतिग्रस्त होने, वोल्टेज असंतुलित होने, आपूर्ति बाधित होने तथा घातक दुर्घटना की आशंका रहती है। उपरोक्त विनियमों के अनुसार परिवादी प्रतिष्ठान दिनांक 10.04.2026 से पूर्व तत्समय स्वीकृत विद्युतभार 6500 KVA तक का ही उपयोग करने के लिये अधिकृत था, इसलिए स्वीकृत विद्युत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किए जाने पर परिवादी प्रतिष्ठान का उपरोक्तानुसार Excess Demand Charges अधिरोपित किए गए।

समीक्षा

प्रस्तुत प्रकरण में इस मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार परिवादी प्रतिष्ठान के संयोजन का विद्युत भार 6500 केवीए से बढ़ाकर 9500 केवीए करने हेतु उसके आवेदन को विपक्षी विभाग द्वारा अपने विभागीय ऑनलालन पोर्टल पर दिनांक 05.03.2025 को पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 05.06.2025 को आवेदन के सापेक्ष 9600 केवीए का विद्युत भार स्वीकृत किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए लाईन Augumentation हेतु दिनांक 24.07.2025 को रू0 2000000.00 का प्रांकलन तैयार किया गया, जिसका परिवादी द्वारा दिनांक 04.11.2025 को भुगतान किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 30.03.2026 को लाईन निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिनांक 31.03.2026 को परिवादी प्रतिष्ठान के साथ अनुबन्ध करते हुए दिनांक 10.04.2026 को (कुल 158 दिन में) बढ़ा हुआ विद्युत भार (9600 केवीए) अवमुक्त किया गया।

परिवादी का यह कथन कि, "...सरबरखेड़ा सबस्टेशन पर नियमित उपयोग हेतु विद्युत भार उपलब्ध था, जिससे उनका विद्युत भार नहीं बढ़ाया गया। अन्य फीडर से भार बढ़ाने के लिए उनसे लाईन निर्माण हेतु अनावश्यक रूप से 20 लाख रूपये लिए गए....।", पूर्ण रूप से गलत एवं तर्कहीन प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उक्त प्रश्नगत लाईन डॉग कण्डक्टर पर बनी हुई

क्रमशः 4....

है जोकि अधिकतम भार 300 एम्पीयर तक ही करंट ले सकती है। तथापि किसी भी विद्युत लाईन पर 80 प्रतिशत से ज्यादा विद्युत भार नहीं डाला जा सकता है, इसीलिए यह स्पष्ट है कि परिवादी को इस विद्युत लाईन से अतिरिक्त भार स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। परिवादी के अतिरिक्त विद्युत भार के लिए दूसरी विद्युत लाईन को कार्पोरेशन के पत्रांक संख्या—2578 दिनांक 05.06.2025 के आधार ऊर्जीकृत करने अथवा परिवादी को अतिरिक्त विद्युत भार निर्गत करने हेतु खण्ड कार्यालय के निर्देशानुसार परिवादी द्वारा विभागीय नियमानुसार रू0 20,00000.00 जमा कराये गये है, जोकि "उत्तराखण्ड गजट 28 नवम्बर 2020 के पेज संख्या—539 (टेबल 3.10 (B) (1)" में दी गई व्यवस्था के अनुसार सही है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में यह भी कथन किया गया है कि "...विपक्षी विभाग द्वारा उनके आवेदन के सापेक्ष तैयार किए गए प्रांकलन रू0 2000000.00 की सूचना उनको ससमय नहीं दी गई, जिसके कारण प्रांकलन राशि जमा कराने में विलम्ब हुआ...।" विपक्षी विभाग ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया कि उसके द्वारा दिनांक 24.07.2025 को ही परिवादी के पंजीकृत मोबाइल नंबर—7055315225 पर एसएमएस द्वारा प्रांकलन राशि रू0 20,00000.00 दिनांक 23.08.2025 तक जमा करने की सूचना प्रेषित कर दी गई थी। निर्धारित अंतिम तिथि (23.08.2025) तक भुगतान नहीं हुआ, जिस पर विभाग द्वारा निरंतर पत्राचार (पत्रांक 3502 दिनांक 15.10.2025 तथा पत्रांक 3511 दिनांक 28.10.2025) किए जाने के उपरान्त परिवादी द्वारा अत्यंत विलम्ब से दिनांक 01.11.2025 को प्रांकलन राशि जमा की गई, जो Technical Issue के कारण 04.11.2025 को System में Reflect हुआ। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.07.2025 को परिवादी के पंजीकृत मोबाइल फोन पर प्रेषित सूचना (एसएमएस) की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें परिवादी को स्पष्ट निर्देशित किया गया है, "...Please pay amount of Rs. 2000000.00 by 23.Aug.2025 against Reg. No.451180325001 to avoid rejection of your HT CONNECTION request. Kindly ignore if already paid." उक्त सूचना (एसएमएस) से परिवादी का यह कथन कि, विभाग द्वारा प्रांकलन राशि की सूचना उनको ससमय नहीं दी गई, असत्य साबित होता है ।

विद्युत भार बढ़ाने/घटाने के संबन्ध में माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम 3.4.3 में समय सीमा निर्धारित की गई है, जो तालिका 3.11 में निम्नवत है:—

Table 3.11: Time-frame for release of New HT/EHT connection

Sl. No.	*Description*	*No of days*
(i)	*11 KV works including line*	
(a)	*not involving independent feeder*	*60 days*
(b)	*involving independent feeder*	*90 days*
(ii)	*33 KV works including line*	*180 days*
(iii)	*132 KV and above works including line*	*300 days*

उपरोक्त विनियम के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी विभाग के पास परिवादी प्रतिष्ठान का विद्युत भार बढ़ाने हेतु 180 दिन का समय था, जबकि विभाग द्वारा कुल 158 दिन में में विद्युत भार बढ़ा

क्रमशः 5....

दिया गया, जोकि सही एवं नियमानुकूल है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा विद्युत भार बढ़ने की तिथि 10.04.2026 से पूर्व अपने तत्कालीन स्वीकृत भार 6500 केवीए से अधिक विद्युत भार का लगातार उपयोग किया जाता रहा है। स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने पर UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 तथा तत्समय विद्यमान Tariff Order 2025-26 में Excess Load Penalty का प्रावधान मौजूद है, जोकि निम्नवत हैं....

Regulation 5.2.3 (Excess Load/ Demand Penalty)

"1. In case of consumers where electronic meters with Maximum Demand Indicator (MDI) have been installed and the Maximum Demand recorded in the month exceeds the contracted load/demand, charges for such excess load/demand shall be as filled by the Commission in its Tariff Order from time to time- Such excess load penalty shall be levied only for the month in which Maximum Demand exceeds contracted load-β

2. Where Maximum Demand of consumer (other than domestic consumer) during three consecutive billing cycles exceeds the contracted load, a notice along with the third bill of the said billing cycles shall be served to the consumer by the distribution Licensee informing him either to restrict his load within the contracted load or apply for additional load. In case the consumer does not restrict its load or does not apply for additional load, and the consumer continues to exceed the contracted load/demand for subsequent billing cycle, the charges for such excess load/demand shall be twice the charges for excess load/demand violation as per Clause (1) above."

Tariff Order 2025-26

"Excess Load/Demand Penalty (Not applicable to Domestic, Snow bound and PTW categories)

In case of consumers where electronic meters with MDI have been installed, if the maximum demand recorded in any month exceeds the contracted load/demand, charges for such excess load/ demand shall be levied equal to twice the normal rate of fixed/demand charge as applicable. Such excess load penalty shall be levied only for the month in which maximum demands exceeds contracted load. However, no excess load penalty would be applicable on consumers having pre-paid connections……"

चूंकि परिवादी प्रतिष्ठान, बढ़ा हुआ भार (9600 केवीए) अवमुक्त होने की तिथि 10.04.2026 से पूर्व तक, तत्समय स्वीकृत विद्युत भार (6500 केवीए) का ही उपयोग करने के लिए अधिकृत था, परन्तु परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा माह जून 2025 से माह मार्च 2026 तक नियमित अंतराल में पर अधिकृत सीमा 6500 KVA से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में वर्णित फरवरी 2025 से मार्च 2026 तक के माहवार विवरण में इसकी पुष्टि होती है। अतः इस मंच का स्पष्ट मत है कि स्वीकृत विद्युत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने के एवज में परिवादी प्रतिष्ठान पर उपरोक्त विनियम एवं टैरिफ और्डर के अनुसार Excess Demand Penalty अधिरोपित किया

क्रमशः 6....

जाना सही एवं नियमानुकूल है, जिसकी देयता परिवादी प्रतिष्ठान पर बनती है। अतः परिवादी प्रतिष्ठान की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 24/2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रेम बल्लभ पुत्र श्री महेशानन्द बल्लभ, परिवादी
गौरी कुंज विलेज, कुण्डेश्वरी, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री प्रेम बल्लभ पुत्र श्री महेशानन्द बल्लभ का एक शिकायती पत्र दिनांक 05.05.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–371KB11122355 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल माह दिसम्बर तक सही जारी किया गया है, परन्तु विद्युत मीटर की खराबी के कारण माह जनवरी 2026 का बिल रू0 3368.00 का जारी किया गया, जिसका त्रुटिवश ऑनलाईन भुगतान भी कर दिया गया। इस बिल की जांच करने पर पाया कि पिछले सामान्य खपत से अधिक विद्युत खपत दर्शायी गयी है। इसके उपरांत उनके द्वारा विद्युत मीटर की जांच हेतु ऑनलाईन शिकायत दर्ज करायी गयी। जिसके उपरांत विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2026 को पुराना विद्युत मीटर बदलकर नया विद्युत मीटर लगा दिया गया। विभाग द्वारा माह अप्रैल में 281 यूनिट उपभोग दिखाते हुए रू0 4711.00 विद्युत बिल जारी किया गया है, जबकि पिछले डेढ़ महीने से उक्त परिसर बन्द है फिर यह उपभोग कहा से आया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल की जांच कराकर संशोधित विद्युत बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 05.05.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 16.05.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

22.05.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.05.2026, 12.06.2026, 30.06.2026, 10.07.2026 व 24.07.2026 को परिवादी प्रतिनिधि श्री अमित के तथा विपक्षी की ओर से श्री दीप चन्द्र पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3657 दिनांक 23.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि सुनवाई के दौरान दिए गये निर्देशानुसार परिवादी के विद्युत बिल में धनराशि रू0 5687.31 का समायोजन देते हुए रू0 3077.68 का संशोधित बिल का दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 49 / 2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह वास्ते श्री हेमन मण्डल, ग्राम अंजनिया, किच्छा। — **परिवादी**

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा। — **विपक्षी**

निर्णय

परिवादी श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह की ओर से श्री हेमन मण्डल का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205004722 (05 एचपी नलकूप) जो स्वर्गीय श्री दर्शन सिंह के नाम दर्ज है। उक्त नलकूप संयोजन का विद्युत बिल विगत कई सालों से अधिक आ रहा है, वास्तविक खपत से अधिक है। वर्तमान में 3 लाख से ऊपर का बिल हो चुका है। इतना अधिक बिल आने के कारण पूरा परिवार आर्थिक रूप से परेशानी का सामना कर रहा है। संभवतः मीटर में कोई तकनीकी गड़बड़ी अथवा बिलिंग में त्रुटि है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व), एवं

क्रमशः 2....

श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1899 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर पर दिनांक 18.07.2026 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 05.08.2026 को फाइनल किया गया, जिसमें दोनों मापक बराबर चलते पाए गये हैं। परिवादी को पूर्व में भी मापक की रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए गये हैं, जो परिवादी की वास्तविक खपत के अनुसार ही है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के अनुरोध पर विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 18.07.2026 को उसके संयोजन पर चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 05.08.2026 को फाइनल किया गया। चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार जांच में परिवादी का मापक सही पाया गया। सही मापक में दर्ज रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 50/2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बलवीर सिंह विर्क पुत्र स्व0 श्री अर्जुन सिंह, परिवादी
ग्राम चुटकी, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री बलवीर सिंह विर्क पुत्र स्व0 श्री अर्जुन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 24.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205001091 (05 एचपी नलकूप) जो स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह के नाम दर्ज है। उक्त नलकूप संयोजन का वर्तमान विद्युत बिल रू0 600000.00 का जारी किया गया है, जो बहुत अधिक है। जबकि वह अपने विद्युत बिलों का भुगतान नियमित रूप से करता आ रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया तो पता चला कि विभाग के पास वर्ष 2012 से पूर्व कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है। जबकि प्रार्थी द्वारा किए गये बिल भुगतान की रसीदें मौजूद है। विभाग में कई बार अनुरोध करने पर प्रार्थी का बिल ठीक नहीं किया जा रहा है। प्रार्थी आर्थिक व मानसिक रूप से बहुत परेशान है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल रू0 600000.00 की जांच करने एवं जमा राशि को समायोजित करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 24.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1896 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर दिनांक 30.04.2026 को चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 20.06.2026 को फाइनल किया गया, जिसमें दोनों मापक समान चलते पाए गए। परिवादी को मीटर यूनिट के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–प्रथम द्वारा उक्त परिवादी का दिसम्बर 2011 तक का बकाया कम्प्यूट्रीकृत लेजर में दिनांक 20.06.2012 को रू0 22454.00 दर्शाया गया है एवं परिवादी द्वारा पूर्व के विद्युत बीजकों के सापेक्ष पूर्ण राशि जमा न किए जाने के कारण उक्त बकाया वास्तविक प्रतीत होता है। साथ ही परिवादी के कम्प्यूट्रीकृत लेजर व हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिवादी द्वारा दिनांक 22.03.2013 को निर्गत जमा रसीद रू0 6500.00 तथा आर.डी.एफ. में निर्गत विद्युत बीजक के अनुसार माह 12/2017 व 06/2016 को क्रमशः 22500.00 व 26128.00 का समायोजन नहीं दिया गया था। अतः परिवादी के कुल विद्युत बीजक रू0 655937.00 में रू0 55128.00 का समायोजन देते हुए रू0 600719.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है, जो परिवादी द्वारा भुगतान किया जाना है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 206/2025–26 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 उन्नति फूड प्रोडक्ट्स वास्ते श्री संदीप कुमार, परिवादी
ग्राम बघौरी, सितारगंज।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज।

निर्णय

परिवादी प्रतिष्ठान मैसर्स उन्नति फूड प्रोडक्ट्स की ओर से श्री संदीप कुमार (प्रोपराइटर) पुत्र श्री महेश चन्द्र का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–880K000193193 (225 केवीए औद्योगिक) की ट्रांसफार्मर लोडिंग क्षमता 250 केवीए है। माह मई 2025 में उनके संयोजन पर स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के बाद से उनको अतिरिक्त विद्युत भार का बढ़ा हुआ बिल प्रेषित किया गया। विद्युत बिल में अतिरिक्त भार की पेनल्टी के रूप में रू0 3,11,665.60 की अतिरिक्त धनराशि जोड़ी गई है, जोकि गलत है। इस सम्बन्ध विभागीय कार्यालय में भी लिखित शिकायत की गई है, परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त औद्योगिक विद्युत संयोजन की भार क्षमता की जांच कराते हुए विद्युत बिल में लगाये गये अतिरिक्त भार की पेनल्टी को हटवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 17.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025, 15.01.2026, 31.01.2026, 24.02.2026, 13.03.2026, 23.03.2026, 09.04.2026, 23.04.2026, 05.05.2026, 21.05.2026,

क्रमशः 2....

11.06.2026, 29.06.2026, 10.07.2026, 22.07.2026 व 13.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री ऋषभ कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व), सितारगंज, श्री के0के0 पन्त, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर, श्री राजीव कुमार (ऐई मीटर), सितारगंज, श्री उमाकांत चुर्तवेदी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर एवं श्री हर्षित जेसवाल, सहायक अभियन्ता (राजस्व), सितारगंज के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1767 दिनांक 10.06.2026 एवं पत्र संख्या—2593 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि मंच के निर्देशानुसार परिवादी प्रतिष्ठान के संयोजन पर स्थापित मापक संख्या—46000774 को मैसर्स अडानी (AMISP) द्वारा मूल निर्माता कंपनी मैसर्स जीनस को विस्तृत जांच हेतु भेजा गया था। मूल निर्माता द्वारा मापक में दिनांक 19.05.2025 को आयी High Demand का विश्लेषण कर निम्न तथ्य प्रस्तुत किए गये है:—

3.3 Technical Correlation

* The above observations indicate the possiblility of:

-Unstable supply conditions,

-Momentary power interruptions,

-Voltage fluctuations,

-Or transient disturbances during the relevant period.

3.4 Possibility of Temporary Low PF Condition

* As per the Consumer load pattern, the connected load was approximately 2.5-3 Amp per phase, corresponding to load demand above approximately 0.5 KW.

*Under abnormal supply interruption/fluctuation conditions, there is a possibility that the connected PF correction device/capacitor bank may have:

-Malfunctioned temporarily,

-disconeected,

-or not operated properly during that interval.

- In such condition, temporary low PF operation may occur for the connected load, resulting in increased KVA demand recording despite relatively low KW consumption.
- Accordingly, the apparent demand (KVA) may increase significantly due to temporary reduction in PF.

अतः उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि दिनांक 19 मई एवं 20 मई 2025 के मध्य खराब मौसम के कारण विद्युत आपूर्ति अस्थायी रही होने की प्रबल सम्भावना है, जिसके फलस्वरूप परिवादी के संयोजन पर स्थापित PF Correction Device अस्थायी रूप से बन्द हो गयी हो अथवा सही प्रकार से कार्य न कर पायी हो, जिसके परिणामस्वरूप KVA की डिमाण्ड अधिक दर्ज हुई। विद्युत मापक संख्या—46000774 Accuracy सम्बन्धी मापकों पर सही पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विवादित मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट, लॉग सीट रिकार्ड कॉपी, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

क्रमशः 3....

समीक्षा

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी प्रतिष्ठान के 225 केवीए अनुबन्धित भार वाले विद्युत संयोजन पर दिनांक 29.04.2025 को पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। इसके उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के माह 05/2025 के विद्युत बिल में उसकी अधिकतम डिमांड 415 अंकित की गई तथा इसके एवज में रू0 3,11,665.60 की Excess Load Penalty भी बिल में जोड़ी गई है। परिवादी द्वारा उक्त Excess Load Penalty पर आपत्ति जताते हुए विभाग के समक्ष बिल संशोधन हेतु लिखित अनुरोध भी किया गया, परन्तु उसे विभाग से कोई राहत नहीं मिल पाई। इस मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी द्वारा माह 12/2025 से पूर्व तक लगभग प्रत्येक माह अपने अनुबन्धित भार 225 केवीए की सीमा के भीतर ही विद्युत भार का उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि, माह 12/2025 से माह 04/2004 तक परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा अपने अनुबन्धित भार से थोड़ा ज्यादा विद्युत भार का उपयोग किया गया, जोकि 245.80 की अधिकतम सीमा तक ही सीमित रहा, परन्तु माह 05/2025 में परिवादी के मीटर में लगभग दोगुनी ज्यादा अधिकतम डिमांड 415.09 दर्ज हुई, जोकि परिवादी के पिछले एक वर्ष एवं इसके उपरांत दर्ज हुई अधिकतम डिमांड की तुलना में न केवल अप्रत्याशित है, बल्कि संदेहास्पद भी प्रतीत होती है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध मीटरिंग डाटा के अनुसार माह 05/2025 में मीटर में अधिकतम डिमांड केवीए में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी (415) हुई दर्ज हुई, परन्तु केडब्ल्यू में सामान्य (211) दर्ज हुई, जबकि इस पूरे महीने में पॉवर फैक्टर भी सामान्य (0.9) ही रहा। अतः माह 05/2025 में परिवादी के मीटर के इस अप्रत्याशित व्यवहार को लेकर पैदा हुआ यह संदेह तर्कपूर्ण भी नजर आता है, जोकि संभवतः मीटर में तात्कालिक अवधि के लिए आई तकनीकी खामी का परिणाम हो।

परिवादी के मीटर के इस अप्रत्याशित व्यवहार एवं संभावित तकनीकी खामी की जांच के लिए इस मंच द्वारा विपक्षी विभाग को प्रश्नगत मीटर उसकी मूल निर्माता कंपनी को भेजने के निर्देश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा मूल निर्माता कंपनी की जांच रिपोर्ट इस मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई, जोकि निम्वत है.....

Genus

Analysis Report Against High KVA Demand Observation on Dated 20 May 2025

1. Meter details :

Meter No- 46000774 , MM-YY- 10/2024, Type- HTCT, Rating- 3x63.5, 5-10A, Class-0.2s

- The subject meter received at our works on 08 May 2026 for detailed investigation and analysis.
- The meter was tested under laboratory conditions and found OK during accuracy testing across all load points.
- The meter performance was found within permissible limits as per applicable standards.
- Accuracy test report is attached for reference. (Annexure-A)

2. Analysis of Meter Data

2.1 Power Event Observation

- It is found that Meter has recorded power failure related events multiple times during April 2025 and May 2025.
- Frequent power interruption/restoration events were observed during different days.
- The event pattern indicates the possibility of:
 - Frequent supply interruptions/fluctuations in the area where this Meter was installed, and/or
 - Intermittent CT/PT related disturbances also.

क्रमशः 4....

Meter No : 46000774
Consumer No : --
MRIID : RSS232-ALL
CT Ratio: 1
PT Ratio: 1

Meter Date Time : 19/05/2026 15:44:13
Comp Date Time : 20/05/2026 10:44:49
MRI Date Time : 19/05/2026 15:47:55
Mid Int Period: 30 Mins
MRI File : 20260514_133333.DCX

Meter Class : 0.2S
Voltage Rating : 3 X 63.5 Volts
Current Rating : 5 Amp
Meter Constant : 12800 Imp/kWh
Meter Type : 3 Phase - 4 Wire

S. No.	Power Failure Occurrence Date&Time (0.0.96.7.2.6f) - 102	Power Failure Restoration Date Time (0.0.96.7.3.6f) - 102	Power Off Duration (0.0.96.7.19.6f)
97	18/04/2026 12:29	18/04/2026 00:13	000:11:44
98	18/04/2026 20:20	18/04/2026 20:40	000:00:20
99	18/04/2026 19:41	18/04/2026 19:52	000:00:11
100	18/04/2026 16:44	18/04/2026 16:52	000:00:08
101	18/04/2026 16:44	18/04/2026 17:33	000:00:49
102	18/04/2026 11:08	18/04/2026 11:17	000:00:09
103	18/04/2026 11:27	18/04/2026 11:32	000:00:05
104	18/04/2026 09:15	18/04/2026 09:26	000:00:11
105	18/04/2026 05:36	18/04/2026 07:01	000:01:25
106	17/04/2026 21:07	17/04/2026 22:20	000:01:13
107	17/04/2026 20:42	17/04/2026 20:50	000:00:08
108	17/04/2026 19:08	17/04/2026 19:16	000:00:08
109	17/04/2026 17:27	19/04/2026 17:55	000:00:28
110	17/04/2026 09:03	17/04/2026 09:46	000:00:43
111	17/04/2026 08:24	17/04/2026 08:48	000:00:24

Detailed Power event report attached in Annexure-B

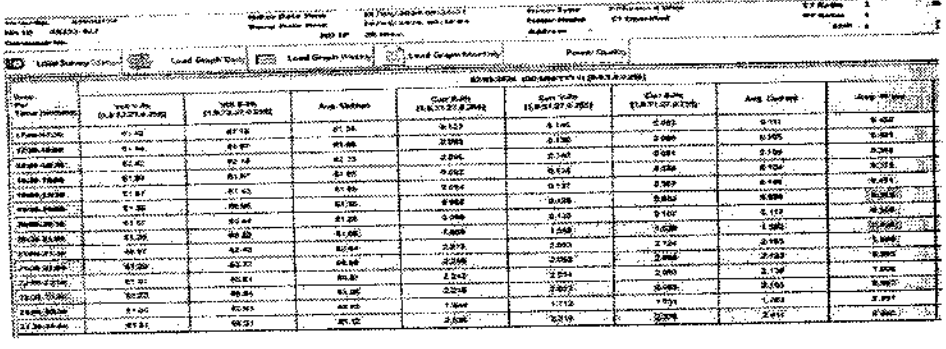
2.2 Load Pattern Observation

- **As per the available meter data, the connected load was mainly observed during night-time hours, whereas daytime load was negligible/nil.**
- **During normal loading conditions, the recorded Power Factor (PF) was observed in the range of 0.96 to 0.98.**
- **During Day time very low/nil load present, the Power Factor was observed to fall approximately to 0.2–0.5.**

Genus

Analysis Report Against High KVA Demand Observation on Dated 20 May 2025

- However, during actual loading conditions, the PF was observed near 0.998.
- This behavior indicates possible operation of an external PF correction device/capacitor bank connected at site.



3. Observation Related to Recorded Demand on 19 and 20 May 2025

As per the complaint, the meter recorded approximately 1.03 KVA demand on 20 May 2025 at 00:00 Hrs. Detailed analysis of the corresponding duration is summarized below:

3.1 Power Interruption Events

- Meter event data indicates that multiple power supply interruption/restoration events occurred starting from:
 - 19 May 2025, 21:18 Hrs
 - and continued up to 20 May 2025, 01:43 Hrs.
- The interruption durations were generally of approximately 1 minute or less.

Refer Annexure-B

MSN	Meter Time	Event ID	Event Name	Event Desc
46000774	05/19/2025 12:34	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 12:51	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 13:20	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 13:21	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 16:56	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 17:00	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 18:45	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 18:47	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 21:18	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 21:19	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 21:19	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 21:20	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:09	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 22:10	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:42	101	Power failure	Power failure - occurrence

क्रमशः 5....

परिवाद संख्या–206 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

Analysis Report Against High KVA Demand Observation on Dated 20 May 2025

46000774	05/19/2025 22:13	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:47	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 22:48	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:50	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 22:51	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:51	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 22:52	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:53	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 22:54	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:55	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 22:56	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:56	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 22:57	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 22:58	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 22:59	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 23:01	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 23:02	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 23:04	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 23:05	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 23:06	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 23:07	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 23:44	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 23:44	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 23:45	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/19/2025 23:46	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/19/2025 23:47	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:08	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:09	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:10	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:11	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:11	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:12	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:13	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:14	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:16	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:17	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:18	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:19	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:21	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:22	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:23	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:24	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:25	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:26	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:26	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:27	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:28	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:29	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:29	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:30	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:31	101	Power failure	Power failure - occurrence

क्रमशः 6....

Analysis Report Against High KVA Demand Observation on Dated 20 May 2025

46000774	05/20/2025 0:32	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:34	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:35	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:36	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:37	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:37	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:38	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:39	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:40	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:42	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:43	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:47	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:48	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:50	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:51	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 0:52	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 0:53	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:05	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:06	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:07	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:08	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:08	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:09	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:13	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:14	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:15	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:16	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:18	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:19	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:20	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:21	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:21	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:22	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:31	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:32	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:34	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:35	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:36	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:37	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:41	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:42	102	Power failure	Power failure - restoration
46000774	05/20/2025 1:42	101	Power failure	Power failure - occurrence
46000774	05/20/2025 1:43	102	Power failure	Power failure - restoration

3.2 Weather Condition of that area also have been verified

• As per IMD weather alerts issued on 18 May 2025, weather warning for subsequent four days was declared for Uttarakhand region.

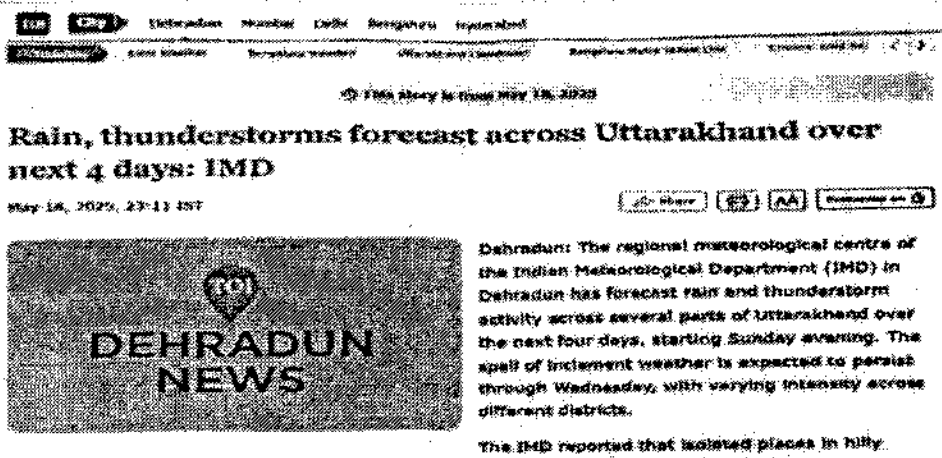
क्रमशः 07

परिवाद संख्या—206 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

Analysis Report Against High KVA Demand Observation on Dated 20 May 2025

- The alert included warning of:
 - strong winds/gusty winds of approximately 30–40 kmph
 - unstable weather conditions in Udham Singh Nagar district.
- Relevant weather/news references are attached for reference.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/rain-thunderstorms-forecast-across-uttarakhand-over-next-4-days/



Rain, thunderstorms forecast across Uttarakhand over next 4 days: IMD

May 16, 2025, 23:13 IST

Dehradun: The regional meteorological centre of the Indian Meteorological Department (IMD) in Dehradun has forecast rain and thunderstorm activity across several parts of Uttarakhand over the next four days, starting Sunday evening. The spell of inclement weather is expected to persist through Wednesday, with varying intensity across different districts.

The IMD reported that isolated places in hilly districts such as Uttarkashi, Rudraprayag, Chamoli, Bageshwar, and Pithoragarh are likely to witness thunderstorms accompanied by lightning, hail, intense spells of rain, and gusty winds reaching speeds of 40-50 kmph. Additionally, Tehri, Dehradun, Pauri, Almora, Champawat, and Nainital districts may also witness light to moderate rain and thunderstorm activity at a few locations.

Plains such as Haridwar and Udham Singh Nagar are likely to remain mostly dry, with occasional very light rain or thunderstorms at isolated spots. The IMD also warned of strong surface winds reaching up to 30–40 kmph during the day, especially in plain areas, which may cause inconvenience and potential hazards.

Please refer Annexure-C.

3.3 Technical Correlation

- The above observations indicate the possibility of:
 - unstable supply conditions,
 - momentary power interruptions,
 - voltage fluctuations,
 - or transient disturbances during the relevant period.

3.4 Possibility of Temporary Low PF Condition

- As per the customer load pattern, the connected load was approximately 2.5–3 Amp per phase, corresponding to load demand above approximately 0.5 KW.
- Under abnormal supply interruption/fluctuation conditions, there is a possibility that the connected PF correction device/capacitor bank may have:
 - malfunctioned temporarily,
 - disconnected,
 - or not operated properly during that interval.
- In such condition, temporary low PF operation may occur for the connected load, resulting in increased KVA demand recording despite relatively low KW consumption.
- Accordingly, the apparent demand (KVA) may increase significantly due to temporary reduction in PF.

क्रमशः 8....

Analysis Report Against High KVA Demand Observation on Dated 20 May 2025

4. Limitation of Further Validation

- To further validate the exact load behavior during the reported interval, detailed Load Survey (LS) data was required.
- However, due to memory limitations, the relevant LS data is not available of last one year in the meter at the time of analysis in May 2026.
- Further, as per the HES data provided, LS data was also unavailable/missing for the duration:
 - From 19 May 2025, 21:00 Hrs
 - To 20 May 2025, 06:30 Hrs.
- Therefore, exact interval-wise consumption behavior during the event period could not be further correlated.

5. Conclusion

- During laboratory verification, as per IS the meter was found functioning correctly and within accuracy limits.
- No abnormality was observed in meter accuracy or functionality during testing.
- Based on available meter event data, the recorded KVA demand appears associated with:
 - prevailing supply disturbance/interruption conditions,
 - transient power fluctuation events,
 - and corresponding site load/PF behavior during that duration.

Supporting test reports and relevant weather/news references are attached for reference.

उपरोक्त जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मीटर एवेंट डाटा इशारा करते हैं कि दिनांक 19.05.2025, 21:18 बजे से दिनांक 20.05.2025, 01:43 बजे तक कई बार Power Supply Interruption / reatoration होता रहा, जबकि पत्रावली पर उपलब्ध बिजली घर के लॉगशीट डाटा के अनुसार इस अवधि में कोई Power Failure नहीं रहा। रिपोर्ट में मौसम विभाग द्वारा 18.05.2025 को अगले चार दिनों हेतु जारी की गई चेतावनी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 30—40 Kmph गति वाली तीव्र हवाएं, अप्रत्याशित मौसम, thunderstorm accompanied with lightning की चेतावनी भी शामिल हैं। जांच रिपोर्ट के बिन्दु—5 Conclusion में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि,

"....Based on available meter event data, the recorded KVA demand appears associated with:

-prevailling supply disturbance / interruption conditions,

-transient power fluctuation events,

-and corresponding site load / PF behavior during that duration."

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं तकनीकी जांच रिपोर्ट के सम्मयक अध्ययन व विश्लेषण के आधार पर इस मंच का यह मत है कि दिनांक 19 व 20, मई 2025 के मध्य खराब मौसम, आसमानी बिजली, अस्थायी विद्युत आपूर्ति जैसे कतिपय संभावित कारणों के फलस्वरूप परिवादी का मीटर कुछ समय के लिए Malfunctioned (त्रुटिपूर्ण) हो गया, जिसकी वजह से परिवादी के मीटर में माह 05 / 2025 में अधिकतम डिमांड 415 केवीए दर्ज हो गई, जबकि केडब्ल्यू में अधिकतम डिमाण्ड सामान्य (211) ही रही तथा पॉवर फैक्टर भी सामान्य (0.9) ही रहा। यदि परिवादी द्वारा वास्तव में अपने अनुबन्धित भार (225 केवीए) से अधिक विद्युत भार का प्रयोग किया गया होता तो केवीए के साथ ही केडब्ल्यू में भी डिमाण्ड 415 केडब्ल्यू के आसपास होती तथा पॉवर फैक्टर में भी सम्भवतः उसका असर दिखाई पड़ता, परन्तु वर्तमान प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ, जोकि मीटर में कुछ समय के लिए उपरोक्त जांच रिपोर्ट में वर्णित कतिपय कारणों के परिणामस्वरूप आई तकनीकी खामी को दर्शाता है। चूंकि उक्त विशिष्ट अवधि के लिए त्रुटिपूर्ण मीटर में अंकित उक्त 415 केवीए

क्रमशः 9....

अधिकतम डिमांड यहां पर स्वयं भी त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो गई है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा माह 05/2025 में परिवादी को प्रेषित दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 31.05.2025 के बिल में उक्त त्रुटिपूर्ण अधिकतम डिमांड के आधार लगाई गई रू0 311665.60 की Excess Load Penalty को निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। परिवादी के संयोजन पर स्थापित उक्त प्रश्नगत/विवादित मीटर को भी तत्काल बदला जाना उचित होगा, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न हो सके।

आदेश

परिवादी प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा माह 05/2025 में परिवादी को प्रेषित दिनांक 30.04.2025 से दिनांक 31.05.2025 तक के बिल में उक्त त्रुटिपूर्ण अधिकतम डिमांड के आधार लगाई गई Excess Load Penalty को निरस्त किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी से Excess Load Penalty के रूप में वसूली गई रू0 3,11,665.60 की धनराशि उसे वापस करें अथवा उसके आगामी बिल में समायोजित करें। यह मंच परिवादी के संयोजन पर स्थापित उक्त प्रश्नगत/विवादित मीटर को भी तत्काल बदलने की प्रबल संस्तुति करता है। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 51/2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री संजीत कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेओ राम, परिवादी
म0नं0 407ए, डॉयनेमिक गार्डन सिटी, किच्छा रोड, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री संजीत कुमार पुत्र श्री इन्द्रदेओ राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–897A906968610 (05 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल माह अप्रैल व मई का एक समान जारी किया गया है, जबकि माह जून में दोगुनी राशि का बिल जारी किया गया है। जबकि उनकी विद्युत खपत पहले की भांति है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मीटर रीडिंग, खपत इकाइयों के निर्धारण अथवा बिलिंग प्रक्रिया में कोई त्रुटि या अनियमितता हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रीष्मकालीन महीनों में वास्तविक खपत के अनुरूप उचित सत्यापन किए बिना उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बिल का भार डाला जा रहा है। अतः इस विषय की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि बिल राशि में इतनी असामान्य वृद्धि किस आधार पर की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बिल में यह उल्लेख किया जाता है कि ऑनलाईन भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी, किन्तु व्यवहार में उपभोक्ता को छूट मिलने के स्थान पर विभिन्न शुल्कों अथवा अन्य कारणों से 10–20 रूपये अथवा उससे अधिक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है। अतः यह भी स्पष्ट किया जाए कि घोषित छूट का वास्तविक लाभ उपभोक्ताओं को क्यों नहीं मिल रहा है तथा इस सम्बन्ध में पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की भौतिक जांच, मीटर रीडिंग का

क्रमशः 2....

सत्यापन, खपत इकाइयों की पुनर्गणना तथा बिलिंग रिकार्ड की विस्तृत जांच कर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 25.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 22.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर–1 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5384 दिनांक 06.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 से वर्ष 2026–27 तक माह जून/जुलाई के माह में रिकोर्ड खपत के अनुसार उक्त परिवादी का माह 07/2026 में निर्गत 768 यूनिट्स का विद्युत बीजक सही प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि निम्न तालिका से होती है:–

FY	Bill Month	Bill Units (KWH)
2026-27	June 2026	768
2025-26	July 2025	480
	June 2025	769
2024-25	July 2024	545
	June 2024	698
2023-24	July 2023	733
	June 2023	749
2022-23	July 2022	757
	June 2022	882

परिवादी की उक्त शिकायत के आधार पर विद्युत परीक्षण खण्ड, रूद्रपुर द्वारा दिनांक 20.07.2026 को उनके परिसर पर चैक मापक संख्या–जी7911944 स्थापित किया गया तथा दिनांक 02.08.2026 को फाइनल किया गया, जिसमें उक्त परिवादी का पुराना मापक संख्या–8846473 Under permissible limit में पाया गया है। परिवादी का विद्युत मापक जांच में सही पाया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के मापक की जांच हेतु दिनांक 20.07.2026 को उनके परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 02.08.2026 को चैक मापक फाइनल किया गया। उक्त जांच में परिवादी का पुराना मापक संख्या–8846473 सही (Under permissible limit) पाया गया है। चूंकि सही मापक की रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिल पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

क्रमशः 3....

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 52/2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती बेबी यादव वास्ते श्री अवधेश यादव, परिवादी
शिमला पिस्तौर, लालपुर, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती बेबी यादव की ओर से श्री अवधेश यादव का एक शिकायती पत्र दिनांक 25.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1F127993840 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल लगभग रू0 600.00 का आता था। स्मार्ट मीटर लगने के बाद, विद्युत खपत में कोई खास वृद्धि न होने बावजूद लगभग रू0 11000.00 का बिल जारी किया गया है, जो बहुत अधिक है। जिसकी विभागीय कार्यालय में शिकायत की गई और मीटर भी चैक कराया गया, परन्तु कोई भी संतोषजनक समाधान नहीं मिला। 04 माह से अधिक हो गये है, फिर भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल की जांच कराकर, संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 25.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 04.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादिनी प्रतिनिधि श्री अवधेश यादव के तथा विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1644 दिनांक 23.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन पर चैक मापक स्थापित किया गया था, जिसे फाइनल करने पर पुराने मापक व चैक मापक समान रूप से चलते पाये गये है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं चैक मापक रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2025 को परिवादिनी का पुराना मापक बदलकर नया स्मार्ट मापक स्थापित किया गया। मापक बदलते समय पुराने मापक में अंतिम रीडिंग 2459 केडब्ल्यूएच पाई गई, जबकि इससे पूर्व की बिलिंग चक्र में परिवादिनी को 2149 केडब्ल्यूएच रीडिंग तक का बिल प्रेषित किया जा चुका था। उपरोक्तानुसार परिवादिनी के पुराने मापक में 310 यूनिट बैलेंस रीडिंग बाकी थी, जिसका बिल निर्गत नहीं हुआ था। पत्रावली पर उपलब्ध बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार नया स्मार्ट मापक स्थापित होने के बाद पहले बिलिंग चक्र में परिवादिनी की 35 दिन की खपत 1181 यूनिट दर्ज हुई है, जोकि उसकी सामान्य खपत से कई गुना अधिक है। परिवादिनी के पिछले Consumption Pattern से स्पष्ट होता है कि उक्त संयोजन निर्गत होने की तिथि 08.03.2024 से लेकर वर्तमान तक परिवादिनी की मासिक विद्युत खपत 15 से 179 यूनिट तक ही सीमित रही है, जबकि मीटर बदलने के उपरांत यह पहला ऐसा अवसर है, जब उसकी मासिक खपत उसकी सामान्य खपत से लगभग 7–8 गुना अधिक दर्ज हुई है। हालांकि, इस बिलिंग चक्र के उपरांत अगले बिलिंग चक्रों में उसकी मासिक खपत पुनः पुराने Consumption Pattern के अनुसार ही दर्ज हुई है। उपरोक्त विश्लेषण से मीटर बदलने (दिनांक 31.12.2025) के उपरांत पहले बिलिंग चक्र में नए मीटर में दर्ज 7–8 गुना अधिक खपत (1181 यूनिट) संदेहास्पद प्रतीत होती है, जोकि मीटर में आई ऐसी किसी तकनीकी खामी की ओर इशारा करती है, जो कुछ समय बाद स्वयं ठीक भी हो गई है। इस मंच का मानना है कि यद्यपि मीटर की जांच में परिवादिनी का उक्त स्मार्ट मापक सही पाया गया है, तथापि सामान्य खपत से 7–8 गुना अधिक दर्ज हुई संदेहास्पद खपत (1181 यूनिट) का अतिरिक्त आर्थिक बोझ परिवादिनी पर थोपा जाना उचित व न्यायसंगत नहीं है। अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को प्रेषित दिनांक 31.12.2025 से 04.02.2026 तक की अवधि में 1181 यूनिट की संदेहास्पद खपत का बिल निरस्त किया न्योचित होगा। इस मंच का यह भी मानना है कि विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्नगत बिलिंग चक्र (दिनांक 31.12.2025 से 04.02.2026 तक) का बिल परिवादिनी के पिछले तीन बिलिंग चक्रों अथवा अगले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

क्रमशः 3....

परिवाद संख्या—52/2026—27
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को प्रेषित दिनांक 31.12.2025 से 04.02.2026 तक की अवधि में 1181 यूनिट की संदेहास्पद खपत का बिल निरस्त किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त प्रश्नगत अवधि का बिल पिछले तीन बिलिंग चक्रों अथवा अगले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर संशोधित करते हुए तत्काल परिवादिनी को प्रेषित करें। विपक्षी विभाग इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 63/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रोहित कुमार जैन वास्ते श्री कपिल अरोरा, परिवादी
जी0आर0 इंटरप्राईजेज, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर।

निर्णय

परिवादी श्री रोहित कुमार जैन की ओर से श्री कपिल अरोरा का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–JS2SW12002266 (घरेलू) पर पी0एम0 सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अधिकृत विक्रेता जी0ई0ई0ए0आर0 इंटरप्राईजेज, काशीपुर की ओर से यूपीसीएल काशीपुर में तैनात श्री हुकुम सिंह के अत्यन्त आपत्तिजनक आचरण के सम्बन्ध में औपचारिक शिकायत कर रहा हूं। सम्बन्धित उपभोक्ता से सम्बन्धित नेट मीटर पीपीए समझौते के साथ जसपुर डिविजन में विधिवत जमा कर दिया गया था। मीटर की जांच 27.06.2025 को पूरी हो गई थी, हालांकि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उसी दिन मीटर जांच पर्ची नहीं दी गई। इसके बजाय व्हाट्सएप नम्बर पर भेजी गयी थी। चूंकि यह दस्तावेज अधिकारिक तौर पर विभाग द्वारा ही साझा किया गया था, इसलिए मैंने मीटर टेस्ट स्लिप का रंगीन प्रिंटआउट लिया, इसे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न किया और मीटर जांच करने के लिए यूपीसीएल टेस्ट लेबोरेटरी, काशीपुर से सम्पर्क किया। प्रयोगशाला में, श्री हुकुम सिंह ने दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और निराधार आरोप लगाते हुए कहा कि कागजात फर्जी है। बातचीत के दौरान, हुकुम सिंह ने कहा कि काशीपुर से परीक्षण के लिए आने वाले सभी मीटरों को अस्वीकार कर दिया जायेगा। जो स्पष्ट रूप से अधिकारिक अधिकार का दुरूपयोग और एक अधिकृत विक्रेता को परेशान करने का प्रयास

क्रमशः 2....

दर्शाता है। प्रयोगशाला में मीटर टेस्ट करने हेतु विक्रेताओं से अवैध रूप से पैसों की मांग भी की जाती है। जिसके लिए तत्काल सतर्कता जांच की आवश्यकता है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त कथनों के आधार पर प्रयोगशाला, काशीपुर में तैनात श्री हुकुम सिंह के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, जसपुर को अपने पत्र दिनांक 03.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.07.2026 व 14.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से सुश्री दिव्या पाण्डे, सहायक अभियन्ता (राजस्व), एवं अतिरिक्त कार्यभार उपखण्ड अधिकारी (प्रथम), जसपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1981 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, काशीपुर द्वारा उक्त मामले में एक जांच समिति का गठन किया गया था, जिसके उपरांत उनके कार्यालय पत्रांक 245 दिनांक 06.08.2026 के साथ संलग्न जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है, जो निम्न प्रकार है:—

जांच आख्या

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या—193/वि0प0ख0(का0)/दिनांक 15.07.2026 को गठित जांच समिति के अनुपालन में जांच समिति द्वारा शिकायतकर्ता श्री रोहित कुमार जैन वास्ते श्री कपिल अरोड़ा द्वारा श्री हुकुम सिंह टी0जी0—द्वितीय पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में जांच की गयी। जिसमें शिकायकर्ता एवं श्री हुकुम सिंह, टी0जी0—द्वितीय जांच समिति के समक्ष उपस्थित रहे। जांच के सम्बन्ध में बिन्दुवत् आख्या निम्न है:—

1. शिकायतकर्ता श्री रोहित कुमार जैन वास्ते श्री कपिल अरोड़ा (M/s Gee AAR Enterprise), (A/c No-40117152301) के परिसर पर स्थापित होने वाला सोलर स्मार्ट मापक (SS18591224) विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर के कार्यालय पत्रांक 1256 दिनांक 03.06.2026 को निर्गत हुआ है जो कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, काशीपुर में दिनांक 03.07.2026 को प्राप्त हुआ एवं मापक की टैस्टिंग कर उक्त मापक विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा पत्रांक 128 दिनांक 13.07.2026 के माध्यम से विद्युत वितरण खण्ड, जसपुर को प्रेषित किया गया।

2. उक्त मापक को टैस्टिंग फीस रू0 200.00 रसीद संख्या—010725/31, दिनांक 27.06.2026 के माध्यम से जमा करवाने के उपरांत सोलर स्मार्ट मापक को टैस्टिंग हेतु विद्युत परीक्षण, प्रयोगशाला, काशीपुर को भेजा गया उक्त मापक के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्नक नहीं थे। चूंकि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, काशीपुर द्वारा सोलर मापकों से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज चैक करने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

3. उक्त मापक के दस्तावेज M/s. GEE AAR Enterprise द्वारा जमा किये गये।

क्रमशः 3....

4. श्री हुकुम सिंह, टी0जी0–द्वितीय के द्वारा दिनांक 24.07.2026 को अपनी दी गयी आख्या के क्रम में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा श्री कपिल अरोड़ा (M/s Gee AAR Enterprise) से दूरभाष (7017665759) पर वार्ता हुयी जिसमें उन्हें अवगत कराया गया कि उक्त मापक के साथ मूल प्रति संलग्नक नहीं है एवं मूल प्रति उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था एवं ऐसा ना करने पर उक्त मापक को वापिस भेज दिया गया था एवं उक्त उपभोक्ता/सोलर मापक से किसी भी प्रकार की अभद्रता/पैसों की मांग नहीं की गयी थी।

5. अन्य साक्ष्यों की जांच करने पर संज्ञान में आया कि सोलर मापकों के दस्तावेज सही/पूर्ण ना होने की दशा में खण्ड कार्यालय को वापिस किये जाते है।

विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत परीक्षण खण्ड, काशीपुर की जांच आख्या की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा अपनी इस शिकायत में विपक्षी विभाग के विद्युत परीक्षण खण्ड में टी0जी0–2 पद पर कार्यरत श्री हुकुम सिंह के आचरण के संबन्ध में शिकायत की गई है, जोकि UERC (Guidelines for appointment of Members and Procedure to be followed by the Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulation, 2019 के विनियम–1.2(b) में वर्णित "Complaint" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। परिवादी की इस शिकायत पर सुनवाई करना अथवा निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उपरोक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 53/2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री नारायण दत्त तिवारी पुत्र स्व0 श्री शिवदास तिवारी, परिवादी
ग्राम चुटकी, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री नारायण दत्त तिवारी पुत्र स्व0 श्री शिवदास तिवारी का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205000773 (05 एच0पी0 नलकूप) का विद्युत बिल रू0 1,10,000.00 का जारी किया गया है। जबसे उनका संयोजन चालू है तब से बिल जोड़ा जा रहा है, जबकि विभाग के पास वर्ष 2012 से पूर्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ता द्वारा अपने सभी बिलों के भुगतान की रसीदें उपलब्ध है। विद्युत बिल संशोधन के सम्बन्ध में वह विभागीय कार्यालय कई बार जा चुके है फिर भी बिल सही नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत बिल की जांच कराकर, संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1898 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के वर्तमान कुल विद्युत बीजक रू0 110151.00 में से अनपोस्ट रसीद संख्या–49/डी185008 दिनांक 21.03.2013 के अनुसार जमा रू0 4500.00 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 105651.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 67/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती रजविन्दर कौर पत्नी स्व0 श्री रतन सिंह,
ग्राम बेरिया दौलत, लालपुरी, बाजपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती रजविन्दर कौर पत्नी स्व0 श्री रतन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 07.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–3695421120144 (05 एच.पी. नलकूप) का विद्युत बिल कई बर्षों से जमा न होने के कारण संयोजन बन्द पड़ा हुआ है। इस अवधि के दौरान उन्होंने संयोजन का उपयोग नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.2021 को विद्युत विभाग के कर्मचारी द्वारा बकाया बिल रू0 40000.00 का भुगतान करने पर बकाया राशि की छूट दी जायेगी और संयोजन चालू कर दिया जायेगा। कर्मचारी के उक्त आश्वासन पर परिवादिनी द्वारा दिनांक 31.03.2021 को रू0 40000.00 का भुगतान कर दिया गया। किन्तु अत्यंत खेद का विषय है कि उक्त धनराशि जमा होने के बावजूद भी संयोजन चालू नहीं किया गया। संयोजन बन्द रहने के उपरांत भी नियमित रूप से बिल जारी किए जाते रहे हैं। विभाग द्वारा ओर बकाया बिल बताया जा रहा है जिससे परिवादिनी आर्थिक एवं मानसिक रूप से बहुत परेशान है। वह इतना अधिक बिल जमा करने में असमर्थ है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप संयोजन के विद्युत बिल की निष्पक्ष जांच कर अनुचित देयता से मुक्त कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, बाजपुर को अपने पत्र दिनांक 07.07.2026 द्वारा

क्रमशः 2....

नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.07.2026 व 13.08.2026 को परिवादिनी प्रतिनिधि श्री प्रदीप सिंह तथा विपक्षी की ओर से सुश्री विजय लक्ष्मी गोस्वामी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3371 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के विद्युत बिलों की जांचोपरांत संशोधन करने पर रू0 80,904.00 का समायोजन देते हुए रू0 81,136.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, मीटर बदले जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र सयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 68/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री महमूद हुसैन पुत्र श्री कल्लू चौधरी,
किच्छा रोड, सितारगंज। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री महमूद हुसैन पुत्र श्री कल्लू चौधरी का एक शिकायती पत्र दिनांक 08.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–886H201113905 (01 किलोवाट व्यवसायिक) को स्थापित कराने हेतु क्षेत्रीय लाईनमैन को रू0 1000.00 ऑनलाईन व 3500.00 नकद दिए, कुल रू0 4500.00 दिए गये है। नये विद्युत संयोजन में देरी होने के कारण क्षेत्रीय लाईनमैन धर्मवीर से तीखी नोकझोंक को गयी जिससे लाईनमैन रंजिश रखने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः लाईनमैन से संयोजन स्थापित करने के लिए कहा गया तो लाईनमैन द्वारा डायरेक्ट पोल से विद्युत केबिल जोड़ दी, कहा कि साहब छुटटी पर गये हुए है तब तक लाईन चला लो। क्षेत्रीय लाईनमैन द्वारा षडयंत्र के तहत अगले दिन विभागीय बिजिलेंस टीम को यह सूचना दी कि महमूद चोरी कर रहा है और बिजिलेंस द्वारा जांच करने पर उक्त संयोजन पर चोरी के एवज में धनराशि रू0 200000.00 का जुर्माना लगा दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त मामले की जांच कराते हुए न्याय दिलोन की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 08.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 18.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2026 व 13.08.2026 को परिवादी

क्रमशः 2....

स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री हर्षित जेसवाल, सहायक अभियन्ता (राजस्व), सितारगंज के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–2592 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 16.04.2025 समय 2:32 मिनट पर विजिलेंस टीम के द्वारा परिवादी के परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें परिवादी एल0टी0 विद्युत पोल से कटिया डालकर विद्युत चोरी करते हुए पाया गया। उक्त अनियमितता पर विभाग द्वारा परिवादी के बिल में नियमानुसार निर्धारण की राशि रू0 205658.00 जोड़ी गयी है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप अनन्तिम निर्धारण बीजक, चैंकिग रिपोर्ट, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत विद्युत चोरी एवं उसके एवज में किए गए निर्धारण राशि से संबन्धित है, जोकि भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–126 के अंतर्गत आता है। चूंकि भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–126 से संबन्धित प्रकरणों की सुनवाई करना अथवा उनमें निर्णय पारित करना इस मंच के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 54 / 2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री सुमित पाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह, परिवादी
ग्राम देवरिया, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री सुमित पाल पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मण सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205000998 (05 एच0पी0 नलकूप) का विद्युत बिल रू0 1,01,000.00 का जारी किया गया है। जब से उनका संयोजन चालू है तभी से बकाया बिल जोड़ा जा रहा है, जबकि विभाग के पास वर्ष 2012 से पूर्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ता द्वारा अपने सभी बिलों के भुगतान की रसीदें उपलब्ध है। विद्युत बिल संशोधन के सम्बन्ध में वह विभागीय कार्यालय कई बार जा चुके है फिर भी बिल सही नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत बिल की जांच कराकर, संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1895 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 12/2013 व माह 06/2014 में निर्गत विद्युत बीजक में आर.ए.पी.डी.आर.पी. बिलिंग प्रणाली द्वारा क्रमशः त्रुटिपूर्ण ब्याज रू0 24774.00 व रू0 38075.00 का आगणन किया गया है। अतः परिवादी के कुल विद्युत बीजक रू0 81084.00 में संशोधन करने पर धनराशि रू0 62849.00 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 18235.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 56/2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री परविन्दर सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह, परिवादी
सुनहरा फार्म, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री परविन्दर सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205000997 (05 एच0पी0 नलकूप) का विद्युत बिल रू0 60,000.00 का जारी किया गया है। जबकि वह अपने बिलों का नियमित भुगतान करते आ रहे है फिर भी विभाग द्वारा उनके संयोजन चालू होने से वर्तमान तक का बकाया बिल में जोड़ा जा रहा है, जबकि विभाग के पास वर्ष 2012 से पूर्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ता के पास भुगतान किए गये सभी बिलों की रसीदें उनके पास उपलब्ध है। विद्युत बिल संशोधन के सम्बन्ध में वह विभागीय कार्यालय कई बार जा चुके है, विभाग द्वारा बिल सही नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत बिल की जांच कराकर, संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1901 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 29.07.2026 को परिवादी के परिसर पर स्थापित खराब विद्युत मापक को हटाकर नया विद्युत मापक स्थापित किया गया है। परिवादी के विद्युत संयोजन की सप्लाई प्रकृति दिनांक 07.08.2026 को मीटर फीड कर दिया गया है जिस कारण परिवादी का आगामी विद्युत बिल माह 12/2026 में निर्गत होगा। उक्त परिवादी का माह 12/2024 से माह 06/2026 तक तकनीकी कारणों से विद्युत बीजक निर्गत नहीं हो पाए थे। वर्तमान में परिवादी के लेजर में धनराशि रू0 84703.00 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 673.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 80/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दुर्गा दत्त लखेरा, परिवादी
शनि मन्दिर, दुर्गा कालोनी, गिरीताल, काशीपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर।

निर्णय

परिवादी श्री दुर्गा दत्त लखेरा का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा शनि मन्दिर, दुर्गा कालोनी, गिरीताल, काशीपुर के पास खुली विद्युत लाईन के सम्बन्ध में एसडीओ कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसके उपरांत एसडीओ साहब ने सम्बन्धित जे0ई0 (मौ0 अजर, मो0–9412091280) का नम्बर दिया और समस्या के सम्बन्ध में अवगत कराने को कहा। सम्बन्धित जेई से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि लाईन का कार्य पूरा हो चुका है अब कुछ नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश खतरनाक खुली विद्युत लाईन अभी भी वैसी ही है। जबकि आसपास के सभी ओवरहेड लाईनों को इंसुलेट किया गया है, इस विशेष हिस्से में अभी भी खुले कंडक्टर है, जो निवासियों के लिए खतरा पैदा कर सकते है, खासकर मानसून के मौसम में जब चिंगारी, शार्ट सर्किट और आकस्मिक बिजली के झटके की सम्भावना काफी अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त कालोनी में पुनः निरीक्षण करवाते हुए खुली तारों को यथाशीघ्र इन्सुलेटेड ए0बी0 केबिल अथवा अन्य उपयुक्त इन्सुलेटेड वायरिंग से बदलवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 20.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक

क्रमशः 2....

14.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री पंकज कुमार, डी.ए.आर., काशीपुर के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4144 दिनांक 13.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की उक्त शिकायत पर परिसर का निरीक्षण किया गया जिसमें वर्तमान में उक्त स्थान पर खुली तारे (वेयर कन्डक्टर) जोकि ठीक अवस्था में पड़ी हुई है। साथ ही उक्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुचारू है। अगर परिवादी ए.बी. केबल डलवाना चाहता है, तो वह विभागीय कार्यालय में उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। उसके उपरांत परिवादी का प्रांक्कलन तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा शनि मन्दिर, दुर्गा कालोनी, गिरीताल, काशीपुर क्षेत्र में खुली विद्युत लाईन को इंसुलेटेड कंडक्टर से बदलने के संबन्ध में शिकायत की गई है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में स्पष्ट किया गया है कि उक्त स्थान पर विद्युत लाईन ठीक अवस्था में है तथा विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। परिवादी यदि चाहे तो उक्त लाईन में ए0बी0 केबिल लगवाने हेतु वह विपक्षी विभाग में वांछित दस्तावेजों के साथ नियमानुसार आवेदन कर सकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र ममगाई)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 57/2026–27 दिनांक : 12.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री भास्करानन्द पौत्र स्व0 श्री शिवदत्त वैष्णव, परिवादी
ग्राम देवरिया, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री भास्करानन्द पौत्र स्व0 श्री शिवदत्त वैष्णव का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205002684 (05 एच0पी0 नलकूप) का विद्युत बिल रू0 1,56,000.00 का जारी किया गया है। जबकि वह अपने बिलों का नियमित भुगतान करते आ रहे है फिर भी विभाग द्वारा उनके संयोजन चालू होने से वर्तमान तक का बकाया बिल में जोड़ा जा रहा है, जबकि विभाग के पास वर्ष 2012 से पूर्व का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ता के पास भुगतान किए गये सभी बिलों की रसीदें उनके पास उपलब्ध है। विद्युत बिल संशोधन के सम्बन्ध में वह विभागीय कार्यालय कई बार जा चुके है, विभाग द्वारा बिल सही नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त नलकूप विद्युत बिल की जांच कराकर, संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 29.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं

क्रमशः 2...

श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।.

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1897 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के कम्प्यूट्रीकृत लेजर व बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया कि परिवादी द्वारा दिनांक 30.03.2013 को निर्गत जमा रसीद रू0 6500.00 तथा एन.आर. एवं आर.डी.एफ. में निर्गत विद्युत बीजक के अनुसार माह 06/2018, 12/2018 व 06/2019 को क्रमशः रू0 7370.00, रू0 18442.00 व रू0 9561.00 का समायोजन नहीं दिया गया था। परिवादी के कुल विद्युत बीजक रू0 155684.00 में से धनराशि रू0 41873.00 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 113811.00 का बना दिया गया है, जो परिवादी द्वारा भुगतान किया जाना है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 59/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कल्लू, परिवादी
प्लॉट नं0 94बी, सनसिटी कालोनी, प्रीत विहार, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री कल्लू का एक शिकायती पत्र दिनांक 29.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891A706208871 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल माह 03/2026 में अधिक धनराशि का जारी किया गया है। स्मार्ट मीटर में तकनीकी समस्या के कारण पुराने मीटर की रीडिंग जुड़ गई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने माह 03/2026 के विद्युत बिल की जांच कर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 29.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026, 22.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5477 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के पुराने मापक की एम.आर.आई. सहायक अभियन्ता

क्रमशः 2....

(मापक), विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, रूद्रपुर द्वारा खण्ड कार्यालय को प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर फाइनल रीडिंग 21717 केडब्लूएच दर्ज पायी गयी है। साथ ही बिलिंग प्रणाली में परिवादी का विद्युत मापक बदलते समय उक्त रीडिंग ही दर्ज की गयी है। परिवादी के पुराने मापक संख्या—80034857 की एम.आर.आई. का अध्ययन करने पर पाया गया कि उक्त परिवादी के पुराने मापक से निर्गत विद्युत बीजक महावार सही खपत के अनुसार निर्गत नहीं हुए हैं, इसलिए पुराने मापक की रीडिंग को Date of Installation/D.O.C. से मापक बदले जाने की तिथि दिनांक 19.02.2026 तक कुल खपत 21717 केडब्लूएच को Month-Wise Equally Bifurcate करते हुए मैनुअल गणना की गयी है। मैनुअल गण्ना के आधार पर परिवादी का विद्युत बिल संशोधित करते हुए रू0 10473.00 का समायोजन दिया गया है, जिसके उपरांत दिनांक 31.07.2026 तक परिवादी का रू0 27606.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 60/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दीपक सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह, परिवादी
नियर पुरानी पानी की टंकी, वार्ड नं0 38, 73 एमआईजी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री दीपक सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 30.06.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–8973437197198 (05 किलोवाट घरेलू) के विद्युत बिल में पता–नियर पुरानी पानी की टंकी, वार्ड नं0 38, 73 एमआईजी, रूद्रपुर अंकित है, जोकि गलत है। जबकि उनका वास्तविक पता–मकान नं0 73 एम.आई.जी., वार्ड नं0 38, आवास विकास, नियर शास्त्री पार्क, रूद्रपुर है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त वास्तविक पते को विद्युत बिल में अपडेट कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 30.06.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 08.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.07.2026 व 22.07.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4819 दिनांक 18.07.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन में पता सही कराने हेतु दस्तावेज नियमानुसार उपखण्ड कार्यालय में उपलब्ध करा दिए गये हैं, जिसके उपरांत परिवादी के विद्युत संयोजन में वर्तमान पता सही (अपडेट) कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट एवं संशोधित कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 86/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 काशीपुर इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग वर्क्स वास्ते श्री जितेन्द्र सिंह, जैतपुर घोसी, काशीपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी मै0 काशीपुर इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग वर्क्स की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–370K000958504 (60 किलोवाट औद्योगिक) पर 60 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया गया है, जिसकी विभाग द्वारा NOC भी जारी की गई है। दिनांक 23.04.2026 को सोलर द्वारा बनायी गई विद्युत खपत को जारी बिल में समायोजित नहीं किया गया है। जिस पर आपत्ति करने पर विभाग द्वारा अग्रिम बिल में समायोजन की बात कही गई, परन्तु विभाग द्वारा अग्रिम बिल भी बिना सोलर रीडिंग समायोजन के जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय कार्यालय में सम्पर्क किया गया, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित सोलर पैनल की रीडिंग को विद्युत में समयोजित कराते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, काशीपुर को अपने पत्र दिनांक 22.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 14.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 14.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री पंकज कुमार, डी.ए.आर., काशीपुर के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—4143 दिनांक 13.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा उपलब्ध कराये गये मापक संख्या—X2680162 दिनांक 18.07.2026 को परिवादी के परिसर पर चैक मापक के रूप में स्थापित किया गया है, जबकि परिवादी के परिसर पर लगे मेन स्मार्ट मापक संख्या—14802927 को माह 06/2026 में नेट मापक में परिवर्तित कर दिया गया था। परिवादी के सोलर पैनल कार्यरत होते ही, माह जून 2026 के विद्युत बिल में परिवादी को 1629.12 Export Unit का लाभ प्राप्त हो चुका है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत मापक से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र, माह जून 2026 क विद्युत बिल, एम.आर.आई. रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुननें एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के संयोजन पर सोलर प्लांट इन्स्टॉल होने के उपरांत परिवादी द्वारा विपक्षी विभाग को दिनांक 13.05.2026 को मीटर संख्या—X268012 जांच हेतु उपलब्ध कराया गया, जिसे जांच के उपरांत दिनांक 18.07.2026 को परिवादी परिसर में चैक मापक के रूप में स्थापित किया गया। विपक्षी विभाग द्वारा इससे पूर्व माह 06/2026 में ही परिवादी परिसर पर लगे मेन मापक को नेट मापक में परिवर्तित कर दिया गया था, जिसके उपरांत माह 06/2026 के बिल में ही परिवादी को 1629.12 एक्सपोर्ट यूनिट का समायोजन दिया जा चुका है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र नयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 62/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अंकित सिंह पुत्र श्री अजय सिंह, परिवादी
आवास विकास, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री अंकित सिंह पुत्र श्री अजय सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 02.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891B111112798 (04 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल पिछले कई महीनों से असामान्य खपत के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। उसने परिसर पर स्थापित मीटर पर संदेह जताते हुए बिल अधिक आने की लम्बे समय से शिकायत की जा रही थी, आखिरकार विभाग द्वारा पिछले महीने खराब विद्युत मीटर को बदल दिया गया। मीटर बदले के बाद से विद्युत बिल काफी कम हो गया। यह वास्तविक खपत को दर्शाते हुए सही बिल जारी हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि पुराने विद्युत मीटर में कोई तकनीकी खराबी थी जिससे बिल अधिक आ रहा था। कई महीनों तक अधिक खतप का भुगतान करना पड़ा जबकि इसमें उपभोक्ता की कोई गलती भी नहीं थी। उपभोक्ता के बिलिंग विवरण की जांच करते हुए, नये मीटर की खपत तुलना दोषपूर्ण मीटर खपत से करते हुए वसूली गई अधिक धनराशि का समायोजन उपभोक्ता के बिल में दिया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित दोषपूण मीटर के दौरान वसूल की गई अधिक बिल राशि को नये मीटर खपत के आधार पर बिल में समयोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 02.07.2026 द्वारा

क्रमशः 2....

नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर—1 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—5010 दिनांक 23.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को दिनांक 10.12.2025 से दिनांक 04.04.2026 तक आईडीएफ के आधार पर गलत निर्गत विद्युत बिलों में संशोधन करने पर रू0 27350.00 का समायोजन देते हुए रू0 5888.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 64 / 2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री रहीश अहमद पुत्र श्री खलील अहमद, परिवादी
पता–सिरौली कलां, वार्ड नं0 19, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री रहीश अहमद पुत्र श्री खलील अहमद का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1G113411694 (01 किलोवाट घरेलू) जिस कालोनी में स्थापित है, वहां बहुत विद्युत कटौती हो रही है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी रितेश से पूछने पर उनके द्वारा शहर बदलने की बात कहते हुए अनुचित व्यवहार किया गया। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 06.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1643 दिनांक 23.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि उपसंस्थान संचालक (एस.एस.ओ.) उपनल, किच्छा श्री रितेश

क्रमशः 2....

कुमार, द्वारा दिनांक 04.07.2026 को 11 के0वी0 फीडर सिरौली में विद्युत लाईन में ब्रेकडाउन होने के कारण, लाईनमैन श्री इजहार अहमद द्वारा लाईन शट्डाउन, लाईन मरम्मत हेतु लिया गया था। लाईन बंद होने के दौरान परिवादी श्री रहीश अहमद का पॉवर हाउस के मोबाईल नम्बर पर फोन आया कि विद्युत लाईन बन्द है, जिस पर श्री रितेश कुमार द्वारा बताया गया कि लाईनमैन द्वारा शट्डाउन लिया गया है। उक्त परिवादी द्वारा विद्युत लाईन चालू करने के लिए कहा गया, जिस पर उपसंस्थान संचालक (एस.एस.ओ.) द्वारा सुरक्षा दृष्टि से विद्युत लाईन चालू करने से मना कर दिया गया। विपक्षी विभाग द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपने लिखित जवाब दावे की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की वर्तमान शिकायत विद्युत कटौती के संबन्ध में है जोकि 11 केवी फीडर सिरौली में विद्युत लाईन के ब्रेकडाउन होने के कारण लाईन की मरम्मत के लिए शटडाउन लिए जाने के कारण कटौती की गई थी, जोकि तत्समय नियमानुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु आवश्यक थी। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद संः 65/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री उमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह, परिवादी
जैन कालोनी, गली नं0 02, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री उमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 06.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2A476124481 (04 किलोवाट घरेलू) पर जब से स्मार्ट मीटर स्थापित हुआ है वह विद्युत खपत को असामान्य रूप से तेज गति से रिकार्ड कर रहा है। सामान्य विद्युत उपयोग के बावजूद विद्युत बिल में काफी वृद्धि हुई है। अतः स्मार्ट मीटर की जांच की जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच कराकर संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 06.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 15.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 22.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 22.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र शाह, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5726 दिनांक 12.08.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी की शिकायत के आधार पर परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की चैक मापक लगाकर जांच की गई। चैक मापक फाइनल करने पर परिवादी का पुराना मापक व चैक मापक सामान्य पाये गये, जिसके उपरांत चैक मापक उतार लिया गया। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि चैक मीटर रिपोर्ट के उपरांत परिवादी द्वारा अपने बिल का पूर्ण भुगतान भी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप चैक मापक रिपोर्ट एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.07.2026 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—018/1756 के द्वारा चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 06.08.2026 को सीलिंग प्रमाण पत्र संख्या—006/1683 के द्वारा चैक मापर्क फाइनल किया गया। चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संयोजन पर स्थापित मुख्य मापक सही पाया गया। चूंकि सही मापक में दर्ज रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 100/2026–27 दिनांक : 21.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती कमलेश अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल,
वार्ड नं0 03, खटीमा रोड, सितारगंज। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, सितारगंज। विपक्षी

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती कमलेश अग्रवाल पत्नी श्री नरेश अग्रवाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 30.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–887H142196184 (06 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल माह नवम्बर 2025 से जारी नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभाग में कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। माह नवम्बर 2025 से माह जुलाई 2026 तक का एकमुश्त बिल जारी किया गया जो रू0 33000.00 का है। एकमुश्त बिल जारी किए जाने से परिवादिनी की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है जबकि इसमें विभाग की गलती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी एकमुश्त विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, सितारगंज को अपने पत्र दिनांक 30.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 13.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 13.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री हर्षित जेसवाल, सहायक अभियन्ता (राजस्व), सितारगंज के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—2592 दिनांक 12.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के परिसर पर सोलर मापक लगा हुआ है। परिवादिनी का विद्युत बिल दिनांक 25.11.2025 के बाद दिनांक 28.07.2026 को अपडेट हुआ है। जिसमें Import Unit 9270 एवं Export Unit 5036 दर्ज पायी गयी है, जिसके आधार पर विभागीय नियमानुसार परिवादिनी को रू0 33790.00 का संशोधित बिल जारी किया गया है। साथ ही इसकी जानकारी परिवादिनी को भी दे दी गयी है, जिसके उपरांत परिवादिनी द्वारा विद्युत बिल रू0 33790.00 का भुगतान दिनांक 08.08.2026 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप परिवादिनी द्वारा जमा बिल रसीद कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी का विद्युत बिल मीटर में दर्ज वास्तिविक खपत के अनुसार बनाकर निर्गत किया गया है, जोकि सही एवं नियमानुकूल है। परिवादिनी द्वारा दिनांक 08.08.2026 को अपने बिल का भुगतान भी किया जा चुका है। तद्नुसार परिवादिनी की वर्तमान शिकायत को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 72/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

मै0 आर0डी0ए0 इण्डस्ट्रीज वास्ते श्री संजीव चांदना, परिवादी
ग्राम लालपुर, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी मै0 आर0डी0ए0 इण्डस्ट्रीज की ओर से श्री संजीव चांदना का एक शिकायती पत्र दिनांक 14.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC0K000017340 (75 किलोवाट औद्योगिक) का विद्युत बिल अधिक राशि का जारी किया जा रहा है जबकि उनके द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से हर बिल का भुगतान किया जा रहा है। बिल भुगतान होने के बावजूद भी जारी बिल में बकाया राशि जोड़ी जा रही है, जिस पर विलम्ब अधिभार शुल्क भी लगाया जा रहा है। विभाग द्वारा बिल भुगतान की रसीदें नहीं दी जाती है। माह अप्रैल में उनके परिसर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया है, जिसकी सीलिंग कॉपी भी नहीं दी गयी है। विभाग द्वारा माह जून तक बकाया बिल राशि रू0 176120.00 का जारी किया गया है। बकाया पर विभाग द्वारा उक्त संयोजन विच्छेदित भी कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित औद्योगिक विद्युत संयोजन पर जारी बिलों की जांच करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 14.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 21.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.07.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.07.2026 व 12.08.2026 को परिवादी

क्रमशः 2....

स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक—2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1894 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों के सापेक्ष पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिस कारण नियमानुसार उनकी जमा रसीद निर्गत नहीं की जा रही थी। परिवादी को विद्युत बिल उनकी खपत के आधार पर ही निर्गत किए गए हैं। परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (वितरण), रूद्रपुर के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1555 दिनांक 01.08.2026 द्वारा विद्युत बिल का किस्तों में भुगतान किए जाने की अनुमति दी गई है। उक्त कार्यालय के ज्ञाप में दिए गये निर्देशों के अनुक्रम में परिवादी द्वारा किए गये भुगतान रू0 261591.00 की रसीद निर्गत करने के उपरांत विच्छेदित विद्युत संयोजन पुनः जोड़ दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर में अंकित रीडिंग (वास्तविक खपत) के बिल निर्गत किए जा रहे हैं, जिसकी देयता परिवादी पर बनती है। परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों के सापेक्ष, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिए बगैर ही, अधूरा भुगतान किया गया। ऐसे अधूरे भुगतान के सापेक्ष विपक्षी विभाग द्वारा भुगतान रसीदें जारी नहीं करना सही एवं नियमानुसार है। अतः परिवादी की बिल संबन्धी शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के उपरांत परिवादी को नए मीटर बदलने की सीलिंग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाना गलत एवं नियमविरूद्ध है, जिससे विपक्षी विभाग की लापरवाह कार्यप्रणाली उजागर होती है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को अविलम्ब मीटर बदलने से संबन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराए। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 89/2026–27 दिनांक : 22.08.2026

उपस्थित: श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मनदीप सलारिया पुत्र श्री कुलदीप सिंह, परिवादी
नारायणपुर फौजी कालोनी, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री मनदीप सलारिया पुत्र श्री कुलदीप सिंह की यह शिकायती दिनांक 24.07.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–369SR25000629 (3.73 किलोवाट नलकूप) का विद्युत बिल गलत जारी किया जा रहा है जिसकी शिकायत ऑनलाईन भी की गई थी। वर्तमान में परिवादी के उक्त मीटर में 19973 केडब्लूएच रीडिंग दर्ज है, जबकि वर्तमान में बिल में अधिक रीडिंग दर्ज की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, को अवलिम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3265 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी को एनए के आधार पर बिल जारी किए जा रहे थे, जिसके अनुसार कुल विद्युत बकाया रू0 15333.00 शेष था। परिवादी के विद्युत मीटर में दर्ज वर्तमान

क्रमशः 2....

रीडिंग के आधार पर परिवादी का संशोधित बिल रू0 (–) 5533.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र ममगाई)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 73/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री अखिल कुमार, **परिवादी**
खमरिया रोड ग्राम लालपुर, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री अखिल कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2F322165399 (02 किलोवाट घरेलू) पर सोलर नेट मीटर दिनांक 10.06.2026 को स्थापित किया गया है और उसमें Import व Export Units आ रही है, लेकिन दिनांक 04.07.2026 को जो बिल जारी किया गया है, उसमें Export Units Zero दिखाया गया है और बिल यूनिट भी काफी अधिक दर्ज की गयी है। इस सम्बन्ध में ऑनलाईन शिकायत की गई, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर व नेट मीटर की जांच करते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 15.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

क्रमशः 2....

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या—1893 दिनांक 11.08.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त विद्युत संयोजन को दिनांक 10.06.2026 को सोलर में परिवर्तित कर दिया गया था, किन्तु मै0 अडानी एनर्जी सोल्यूशन द्वारा उक्त परिवादिनी के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मापक को सोलर नेट मापक में कन्फीगर न करने के कारण परिवादिनी को सोलर एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ नहीं मिल पाया। माह 07/2026 को निर्गत विद्युत बीजक में एक्सपोर्ट यूनिट प्रदर्शित होने के साथ सोलर एक्सपोर्ट यूनिट का लाभ रू0 2428.52 मैनुअली गणना के आधार पर बिल में देते हुए रू0 2576.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र नयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 90/2026–27 दिनांक : 22.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री प्रिंसिपल देशमेश स्कूल, परिवादी
नारायणपुर फौजी कालोनी, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री प्रिंसिपल देशमेश स्कूल की यह शिकायती दिनांक 24.07.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–367RR07009897 (10 किलोवाट) पर स्थापित विद्युत मीटर (संख्या–EL8716) जला हुआ व खराब है जिसकी ऑनलाईन शिकायत दिनांक 18.07.2026 को की गयी थी, परन्तु आज दिनांक तक विद्युत मीटर नहीं बदला गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित खराब विद्युत मीटर को बदलवाने एवं विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, को अवलिम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3265 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित खराब विद्युत मापक को दिनांक 25.07.2026 को बदल दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य

क्रमशः 2....

स्वरूप मीटर बदले जाने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 74/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शुजात अली खान पुत्र श्री शमशाद अली खान, परिवादी
नियर बड़ी मस्जिद, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री शुजात अली खान पुत्र श्री शमशाद अली खान का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1G445026453 (03 किलोवाट घरेलू) पर जो बिल जारी किए जा रहे हैं उनमें पिछले 02 माह से 2–4 किलोवाट लोड के हिसाब से फिक्स चार्ज वसूले जा रहे हैं जबकि उनके पिछले 05 महीनों की बिलिंग के अनुसार उनकी अधिकतम मांग 2 किलोवाट (1.7 किलोवाट) से कम रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत बिल में लगाये गये अतिरिक्त फिक्स डिमाण्ड चार्ज को बिल में समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 15.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1688 दिनांक 25.07.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि आर.ए.पी.डी.आर.पी. बिलिंग प्रणाली में परिवादी की अधिकतम डिमांड (एम.डी.) माह 09/2025 में 1.47 किलोवाट दर्ज की गई, जबकि इसके उपरांत अधिकतम डिमांड लगातार बढ़ती रही तथा माह 03/2026 में 2.159 किलोवाट जा पहुंची, जो बिलिंग हिस्ट्री में भी अंकित है। इस सम्बन्ध में UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and related Matters) Regulation, 2020 के बिन्दु सं0 5.2.3 के अनुसार परिवादी की अधिकतम डिमांड के अनुरूप एडमिन द्वारा स्वतः ही ऑनलाईन विद्युत लोड में वृद्धि कर दी गई है। परिवादी का विद्युत भार कम करने हेतु परिवादी के पिछले 04 माह के विद्युत बीजक में एम.डी. 01 किलोवाट या उससे कम होने पर ही नियमानुसार परिवादी के विद्युत भार कम करने की कार्यवाही की जा सकती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी के विद्युत संयोजन का विद्युत भार पूर्व में 01 किलोवाट था, जिसे बढ़ाकर 03 किलोवाट करने के संबन्ध में विपक्षी विभाग द्वारा अपना जवाब भी इस मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादी माह 08/2025 तक अपने पुराने विद्युत भार के अनुरूप 01 किलोवाट तक का ही विद्युत भार का उपयोग किया गया, जबकि माह 09/2025 में उसके द्वारा 1.47 किलोवाट भार का उपयोग किया गया। इसके उपरांत भी परिवादी द्वारा लगातार 01 किलोवाट से अधिक भार का उपयोग किया जाता रहा तथा माह 03/2026 में परिवादी का विद्युत भार 2.159 किलोवाट तक जा पहुंचा। स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग लगातार जारी रहा, जिसके उपरांत दिनांक 02.06.2026 को विपक्षी विभाग के बिलिंग साफ्टवेयर में स्वतः ही परिवादी का विद्युत भार बढाकर 03 किलोवाट कर दिया गया। इस संबन्ध में UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and related Matters) Regulation, 2020 के बिन्दु सं0 5.2.3(b) का उल्लेख करना आवश्यक है, जोकि निम्नवत है...

"(b) Where MDI recording feature is available in consumer meter, in such cases the Licensee shall analyse the permissible percentage variation in contracted load for three consecutive billing cycles as per Table 5.2 below and if the maximum demand is found to be exceeding the permissible limits then a system generated notice alongwith the bill of 4th billing cycle shall be issued to the consumer informing either to restrict his load within the contracted load or apply for additional load. In case the consumer does not restrict its load or does not apply for additional load, and continues to exceed the contracted load/demand in the 5th-billing cycle, the Licensee shall enhance the contracted load of the said Domestic consumer in 6th billing cycle on the basis of average of the MDI recorded in the previous 5 billing cycles and also recover the applicable charges for load enhancement as per relevant Regulations.

Table: 5.2 Permissible % age variation of Contracted Load for Domestic consumers only

Contracted Load in kW	Permissible % age variation of Contracted Load
1 kW & upto 4 kW	50%
above 4kW & upto 10 kW	40%
above 10 kW & upto 25 kW	25%
above 25 kW	20%

क्रमशः 3....

Provided further, that, if the load falls in decimal number, the Licensee shall consider the same as next whole number for calculation purpose. Where MDI recording feature is not available in consumer meter, in such cases the Licensee shall install appropriate meter for recording the same within Six months of applicability of these regulations.

उपरोक्त विनियम से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा माह 09/2025 के बाद लगातार अपने स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जाता रहा, जिसके उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा उपरोक्त विनियम के अनुसार उसका विद्युत भार बढ़ाकर 03 किलोवाट किया गया, जोकि सही एवं नियमानुकूल है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 91/2026–27 दिनांक : 22.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मुनब्बर अली पुत्र श्री साहब अली, परिवादी
गांव कनौरी, पो0–सुल्तानपुर पट्टी, तहसील बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादी श्री मुनब्बर अली पुत्र श्री साहब अली की यह शिकायती दिनांक 24.07.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि वह गांव कनौरी, पो0–सुल्तानपुर पट्टी, तहसील बाजपुर में पिछले 40–50 सालों से रह रहे है। उक्त कालोनी में लगभग सभी के विद्युत कनेक्शन हैं, लेकिन प्रार्थी को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर एक घरेलू संयोजन लगवाने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, को अवलिम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3265 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के पास उक्त परिसर/भूमि की खतौनी/रजिस्ट्री नहीं है। माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 130/कै0का0/वै0स0/जि0अ0–03/2023–24 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से किसी भी व्यक्ति/भवन स्वामियों अथवा अन्य

क्रमशः 2....

प्रतिष्ठान स्वामियों को विद्युत संयोजन की सुविधा उपलब्ध कराने से पूर्व जिस भवन/प्रतिष्ठान में विद्युत संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेखों की गहनता से जांच/पड़ताल करने हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ भूमि की खतौनी/रजिस्ट्री संलग्न नहीं है। अतः भूमि के स्वामित्व की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। जिस कारण परिवादी को नया संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप जिलाधिकारी द्वारा नये संयोजन हेतु दिए गये दिशा निर्देश की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा नए विद्युत संयोजन हेतु विपक्षी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व संबन्धी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिस भूमि पर विद्युत संयोजन लिया जाना प्रस्तावित है, उक्त भूमि के स्वामित्व संबन्धी अभिलेखों की गहनता से जांच किया जाना अनिवार्य है। चूंकि परिवादी के आवेदन में प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व संबन्धी दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में जिलाधिकारी के उपरोक्त अनिवार्य निर्देशों का पालन किया जाना संभव नहीं है, जिसके बिना विपक्षी विभाग के लिए विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना भी संभव नहीं है। अतः परिवादी की यह वर्तमान शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र थपलियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 77/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मन्जू काण्डपाल पत्नी श्री भूवन काण्डपाल, परिवादी
आदर्श नगर बंदिया, वार्ड नं0 05, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मन्जू काण्डपाल पत्नी श्री भूवन काण्डपाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 15.07.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC1G451176551 (03 किलोवाट घरेलू) का विद्युत लोड बिना अनुमति के 01 किलोवाट से बढ़ाकर 03 किलोवाट कर दिया गया है, जिसके लिए बिल में अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन के विद्युत भार को 03 किलोवाट से 01 किलोवाट में कराते हुए फिक्स डिमाण्ड चार्ज वसूली गई अतिरिक्त धनराशि को बिल में समायोजित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 15.07.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 25.07.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1685 दिनांक 25.07.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि आर.ए.पी.डी.आर.पी. बिलिंग प्रणाली में परिवादिनी की एम.डी. विद्युत बीजक माह 10/2025 में 2.24 किलोवाट से माह 03/2026 में 2.941 किलोवाट तक दर्ज की गयी है, जो बिलिंग हिस्ट्री में भी दर्ज हुई है। इस सम्बन्ध में यूईआरसी नियमावली 2020 के बिन्दु सं0 5.2.3 के अनुसार एडमिन ने स्वतः ही ऑनलाईन विद्युत लोड में वृद्धि कर दी है। परिवादिनी का विद्युत भार कम करने हेतु परिवादिनी के पिछले 04 माह के विद्युत बीजक में एम.डी. 01 किलोवाट या उससे कम होने पर ही नियमानुसार परिवादिनी के विद्युत भार कम करने की कार्यवाही की जा सकती है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी के विद्युत संयोजन का विद्युत भार पूर्व में 01 किलोवाट था, जिसे बढ़ाकर 03 किलोवाट करने के संबन्ध में विपक्षी विभाग द्वारा अपना जवाब भी इस मंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार परिवादिनी माह 10/2025 से पूर्व तक अपने पुराने विद्युत भार के अनुरूप 01 किलोवाट तक का ही विद्युत भार का उपयोग किया गया, जबकि माह 10/2025 में उसके द्वारा 2.024 किलोवाट भार का उपयोग किया गया। इसके उपरांत भी परिवादिनी द्वारा लगातार 01 किलोबाट से अधिक भार का उपयोग किया जाता रहा तथा माह 03/2026 में परिवादिनी का विद्युत भार 2.941 किलोवाट तक जा पहुंचा। स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग लगातार जारी रहा, जिसके उपरांत दिनांक 02.06.2026 को विपक्षी विभाग के बिलिंग साफ्टवेयर में स्वतः ही परिवादी का विद्युत भार बढाकर 03 किलोवाट कर दिया गया। इस संबन्ध में UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and related Matters) Regulation, 2020 के बिन्दु सं0 5.2.3(b) का उल्लेख करना आवश्यक है, जोकि निम्नवत है...

"(b) Where MDI recording feature is available in consumer meter, in such cases the Licensee shall analyse the permissible percentage variation in contracted load for three consecutive billing cycles as per Table 5.2 below and if the maximum demand is found to be exceeding the permissible limits then a system generated notice alongwith the bill of 4th billing cycle shall be issued to the consumer informing either to restrict his load within the contracted load or apply for additional load. In case the consumer does not restrict its load or does not apply for additional load, and continues to exceed the contracted load/demand in the 5th-billing cycle, the Licensee shall enhance the contracted load of the said Domestic consumer in 6th billing cycle on the basis of average of the MDI recorded in the previous 5 billing cycles and also recover the applicable charges for load enhancement as per relevant Regulations.

Table: 5.2 Permissible % age variation of Contracted Load for Domestic consumers only

Contracted Load in kW	Permissible % age variation of Contracted Load
1 kW & upto 4 kW	50%
above 4kW & upto 10 kW	40%
above 10 kW & upto 25 kW	25%
above 25 kW	20%

क्रमशः 3....

Provided further, that, if the load falls in decimal number, the Licensee shall consider the same as next whole number for calculation purpose. Where MDI recording feature is not available in consumer meter, in such cases the Licensee shall install appropriate meter for recording the same within Six months of applicability of these regulations.

उपरोक्त विनियम से यह स्पष्ट है कि परिवादिनी द्वारा माह 09/2025 के बाद लगातार अपने स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग किया जाता रहा, जिसके उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा उपरोक्त विनियम के अनुसार उसका विद्युत भार बढ़ाकर 03 किलोवाट किया गया, जोकि सही एवं नियमानुकूल है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 92/2026–27 दिनांक : 22.08.2026

उपस्थितः **श्री राम सिंह नेगी**
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री ताकिर अहमद पुत्र श्री दुल्हा जान,
गांव कनौरी, तहसील बाजपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर। विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री ताकिर अहमद पुत्र श्री दुल्हा जान की यह शिकायती दिनांक 24.07.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–361U259133366 (02 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर खराब हो गया था जिसकी शिकायत विभाग में की गयी तो विभाग द्वारा चैक मीटर लगाकर मीटर चैक किया जिसके उपरांत वह पुराना मीटर उतारकर ले गये। लेकिन विभाग द्वारा नया विद्युत मीटर नहीं लगाया गया। परिवादी ने अपने पूर्ण बिल का भुगतान भी कर दिया गया, फिर भी मीटर नहीं लगाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर नया विद्युत मीटर स्थापित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, को अवलिम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3265 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर दिनांक 24.07.2026 को ही स्मार्ट

क्रमशः 2....

मापक (मापक संख्या–42238820) स्थापित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र ममगाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 107/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बाबू राम, परिवादी
जी22, देव रोजीडेंसी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बाबू राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 03.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–892A906180023 (04 किलोवाट घरेलू) का माह जुलाई 2026 का विद्युत बिल रू0 6505.00 का बनाया गया हैं, जो गलत है। मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग 24788 यूनिट लिए जाने के कारण यह बिल जारी किया गया है। जबकि उनके मीटर की वास्तविक रीडिंग 24441 है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मापक में दर्ज वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 03.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 11.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक, रूद्रपुर–1 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–5479 दिनांक 11.08.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के माह 07/2026 में त्रुटिवश गलत रीडिंग 24788 केडब्लूएच का विद्युत बीजक निर्गत हो गया था। परिवादी का विद्युत बीजक दिनांक 16.05.2026 से दिनांक 11.08.2026 तक वर्तमान रीडिंग 24608 केडब्लूएच के आधार पर संशोधित करने पर धनराशि रू0 1667.00 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 4838.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय ओम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 93/2026–27 दिनांक : 22.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री महेश चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री पुरनानन्द काण्डपाल, हल्द्वानी रोड ग्राम खमरिया, बाजपुर। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर। — विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री महेश चन्द्र काण्डपाल पुत्र श्री पुरनानन्द काण्डपाल की यह शिकायत दिनांक 24.07.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–362M117105444 (02 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है, जबकि उनकी विद्युत खपत सामान्य है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, को अवलिम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3265 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर में दर्ज वास्तविक पाठयांक के आधार पर परिवादी का विद्युत बिल संशोधित कर रू0 2226.00 का बना दिया गया है, जिसका भुगतान भी परिवादी द्वारा दिनांक 27.07.2026 को कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने

क्रमशः 2....

जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)
न्यायिक सदस्य

(रमेश चन्द्र मथाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 108/2026–27 दिनांक : 13.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री एस.एन. भट्ट पुत्र श्री मनोहर दत्त, परिवादी
जवाहर नगर, नगला डेरी, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री एस.एन. भट्ट पुत्र श्री मनोहर दत्त का एक शिकायती पत्र दिनांक 04.08.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC2E118010033 (02 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है, वहां नियमित रूप से 5–6 घण्टे की विद्युत कटौती बनी रहती है, जिससे दिनचर्या के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। साथ घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने की आशंका बनी रहती है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर/कालोनी की विद्युत कटौती की समस्या के समाधान हेतु फीडर निरीक्षण एवं लोड संतुलन की उचित व्यवस्था कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 04.08.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 11.08.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.08.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.08.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री विवेक उपाध्याय, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2, किच्छा के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1888 दिनांक 11.08.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर/कालोनी की विद्युत कटौती लोकल स्तर पर किसी भी प्रकार से पॉवर कट नहीं किया गया है तथा जो भी पॉवर कट किया जाता है वह कन्ट्रोल रूम देहरादून व 132 केवी किच्छा के आदेशानुसार ही की जाती है। उक्त के अतिरिक्त फीडर में ब्रेक डाउन होने पर फीडर का शट्डाउन लिया जाता है ताकि ससमय ब्रेक डाउन अटेंड किया जा सके। साथ ही पंतनगर बिजली घर के अन्तर्गत आने वाले समस्त उपभोक्ताओं की पॉवर सम्बन्धित शिकायतों के निवारण हेतु शट्डाउन लिया जाता है, जिस कारण पॉवर कट किया जाना सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। विपक्षी विभाग द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपने लिखित जवाब दावे की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में नियमित रूप से विद्युत कटौती का कथन किया गया है, जबकि विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब में परिवादी के कथन के विपरीत स्थानीय स्तर पर विद्युत कटौती किए जाने की बात से इनकार किया गया है। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि देहरादून स्थित State Load Dspatch Center (कंट्रोल रूम) तथा 132 केवी किच्छा के आदेशानुसार ही विद्युत कटौती की जाती है। उपरोक्त दोनों ही केन्द्र विद्युत की ट्रांसमिशन लाइनों से संबन्धित हैं, जहां ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्युत कटौती करने के तात्कालिक निर्णय लिए जाते हैं, जोकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नितांत आवश्यक है। चूंकि State Load Dispatch Center (कंट्रोल रूम) तथा 132 केवी किच्छा के आदेश पर की जाने वाली विद्युत कटौती नितांत आवश्यक एवं नियमानुकूल हैं। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र नयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद संः 95/2026–27 दिनांक : 22.08.2026

उपस्थितः श्री राम सिंह नेगी
(न्यायिक सदस्य)

श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती नन्ही देवी पत्नी श्री मोहन सिंह, परिवादी
ग्राम नन्दपुर नरकटोपा, बाजपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती नन्ही देवी पत्नी श्री मोहन सिंह की यह शिकायती दिनांक 24.07.2026 को विद्युत वितरण खण्ड, बाजपुर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके पास एक घरेलू विद्युत संयोजन था, जिसे बन्द करा दिया गया है। अब विभाग वाले नया कनेक्शन देने से मना कर रहे है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर नया विद्युत संयोजन जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, को अवलिम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3265 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक 632/न्छ.0584/2025 दिनांक 28.11.2025 एवं माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 130/कै0का0/वै0स0/जि0अ0–03/2023–24 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि खण्ड के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों/भवन स्वामियों एवं अन्य प्रतिष्ठानों स्वामियों को विद्युत विभाग

क्रमशः 2....

द्वारा ऐसे व्यक्तियों को नये विद्युत संयोजन की सुविधा उपलब्ध न कराने हेतु निर्देशित किया गया है जिन व्यक्तियों/भवन स्वामित्व एवं अनय प्रतिष्ठान स्वामियों के भवन स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि में न होकर किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि अथवा किसी सरकारी विभाग के स्वामित्व की भूमि हो। इस कारण परिवादिनी को नया संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी द्वारा नये संयोजन हेतु दिए गये दिशा निर्देश की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवादिनी द्वारा नए विद्युत संयोजन हेतु विपक्षी विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र में प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व संबन्धी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब दावे में स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिस भूमि पर विद्युत संयोजन लिया जाना प्रस्तावित है, उक्त भूमि के स्वामित्व संबन्धी अभिलेखों की गहनता से जांच किया जाना अनिवार्य है। चूंकि परिवादिनी के आवेदन में प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व संबन्धी दस्तावेज उपलब्ध न होने की स्थिति में जिलाधिकारी के उपरोक्त अनिवार्य निर्देशों का पालन किया जाना संभव नहीं है, जिसके बिना विपक्षी विभाग के लिए विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना भी संभव नहीं है। अतः परिवादिनी की यह वर्तमान शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(राम सिंह नेगी)	(रमेश चन्द्र मयाल)	(सुभाष चन्द्र भट्ट)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य